हुक़ूक़े वालिदैन
मुसन्निफ़
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा
मुहद्दिसे बरेलवी
रज़वी किताब घर दिल्ली

(साथ औलाद व मुस्लिम)

मुसन्निफ़

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

मुतर्जिम

डा॰ मौलाना सिराज अहमद क़ादरी बस्तवी
(एम॰ ए॰पी॰ एच॰डी॰)

बएहतेमाम

हाफ़िज़ मुहम्मद क़मरुद्दीन रज़वी

नाशिर

रज़वी किताब घर (रजि॰)

423, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली–6

फोन : 3264524

फ़ेहरिस्त

हमारा शो-रूम

रज़वी किताब घर

114, ग़ैबी नगर, भिवंडी
ज़िला थाना (महाराष्ट्र)
फ़ोन : 55389

पेशे लफ़्ज़

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैहि के अकसर इफ़ादात ख़ालिस इल्मी व तहक़ीक़ी हैं उनके बहुत से इस्लाही मज़ामीन में भी इल्मी रंग नुमायाँ है। फ़ारसी इबारत का तो वह तर्जुमा करते ही न थे क्योंकि उसे उर्दू का दर्जा देते, इसलिए कि उनके दौर में फ़ारसी ज़्यादा राइज थी कोई साहबे इल्म घराना फ़ारसी से बमुश्किल ही ख़ाली होता।

अब दौर बदला फ़ारसी व अ़रबी की जगह उर्दू व अंग्रेज़ी ने ले ली। मज़ाक़ भी इल्मी के बजाये सतही हो गया, इल्मी व तहक़ीक़ी किताबें तो कुजा उमूमन लोग तारीख़ी व अदबी किताबें भी नहीं पढ़ते अफ़सानों और नाविलों की तक़रीबन हर घर में हुकूमत नज़र आती है।

जो लोग इस्लाही व इल्मी किताबें पढ़ते हैं उनका भी इल्मी मज़ाक़ कोई ज़्यादा बुलन्द नहीं होता आख़िर वह भी तो इसी माहौल में रहते हैं माहौल ही की हैरत अगेज़ तासीर का नतीजा है कि बेशतर उलमा में भी ज़ौक़े इल्म व तहक़ीक़ नहीं मिलता जो उनका हक़ है अवाम तो ख़ैर अवाम ही हैं, इन हालात के पेशे नज़र फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमह के इफ़ादात आम करने के लिए ज़रुरी है कि उन्हें मज़ाक़े आम के मुताबिक़ सहल और आसान बनाकर पेश किया जाए।

बिरादरे मोहतरम मौलाना अब्दुल मुबीन साहब नोअ़मानी इस ख़ुसूस में भी पेश–पेश नज़र आते हैं। उन्होंने हुक़ूक़े वालिदैन की जदीद तरतीब पेश की है–जो रिसाले मुबारका '*शरहुल हुक़ूक़ लितरहिल उक़ूक़*' वग़ैरह की तस्हील व तौज़ीह है। मुहिब्बे मोहतरम की शाया कर्दा तरतीब (इर्शादाते आला हज़रत) भी यही नोअय्यत रखती है–इसी सिलसिले की एक कड़ी हुक़ूक़े औलाद है जिसका असले नाम '*मशअ़लतुल इर्शाद इला हुक़ूक़ुल औलाद*' था, उसमें अगरचे उन्होंने कोई तौज़ीह व तस्हील नहीं की है मगर पैराग्राफ़ की तबदीली और नये तरीक़े पर शुमारे हुक़ूक़ लगाकर और आम फ़हम नाम रख कर पूरी किताब नई बना दी है, मज़ीद बरआं हाशिये में बाज़ मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी भी लिख दिये हैं क़दीम मतबूआ "*मशअ़लतुल इर्शाद*" से अगर तरतीबे नोअ़मानी का मुक़ाबला किया जाये तो इफ़ादियत व मक़बूलियत में नुमायाँ फ़र्क़ महसूस होगा–

मुहम्मद अहमद भीरवी मिस्बाही
मदरसा अ़र्बिया फ़ैज़ुल उलूम
मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ

मुतर्जिम की बात

एक ज़माना वह था जबकि एशिया बर्रे आज़म के बेश्तर मुमालिक की अवामी ज़बान फ़ारसी थी और आलमी राब्ते की ज़बान अ़रबी। उस वक़्त तमाम तर किताबें अ़रबी व फ़ारसी में तस्नीफ़ो तालीफ़ की जाती थीं मगर रफ़्तारे ज़माना के साथ इल्मी इन्हितात पैदा हुआ और अंग्रेज़ अपनी मसलेहत कोशियों में कामयाब हुए। उनकी कामयाबी ने यह गुल खिलाया कि एशिया से धीरे–धीरे फ़ारसी रुख़्सत हो गई उसकी जगह नई पैदा शुदा ज़बान उर्दू ने ले ली और आलमी राब्ते की ज़बान अ़रबी की जगह अंग्रेज़ी हो गयी उसके बाद तस्नीफ़ो तालीफ़ का काम उर्दू में किया जाने लगा। मगर अब जबकि इसके साथ भी इन्हितताी हादसा पेश आ रहा है तो दानिशवरों की क़ुव्वते फ़िक्र करवट लेने पर मजबूर हो गयी और उन्होंने तस्नीफ़ो तालीफ़ का काम सुबाई और इलाक़ाई ज़बानों में करने का बेड़ा उठाया उसी की एक कड़ी यह किताब भी है। जिसको मुहसिने क़ौमो मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी क़मरुद्दीन रज़वी बानी रज़वी किताब घर, दिल्लीं की कोशिशों से आप तक हिन्दी लिपि में पहुँचाई जा रही है इस किताब का सिर्फ़ रस्मुल ख़त बदला गया है न कि ज़बान जिससे कम से कम इसी तरह लोगों का रिश्ता उर्दू ज़बान से क़ाइम रहे, मुमकिन है कभी क़ौमे मुस्लिम को अपना भूला हुआ सबक़ याद आजाये–आमीन बि जाहि नबीइल करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम–

फ़क़त:

डा॰मौलाना सिराज अहमद क़ादरी बस्तवी

हक़ूक़े वालिदैन

इर्शादे रब्बानी है कि :–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ؕ

(پ ١٥ . ع ٣)

और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ–बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें (ज़ोफ़ का ग़ल्बा हो आज़ा में क़ुव्वत न रहे और जैसा तू बचपन में उनके पास बे ताक़त था ऐसे ही वह बुढ़ापे में तेरे पास नातवां रह जायें) तो उनसे 'हूँ' न कहना (यानी ऐसा कोई कलिमा ज़बान से न निकालना जिससे ये समझा जाये कि उनकी तरफ़ से तबीअ़त में कुछ गिरानी है) और उन्हें न झिड़कना, और उनसे ताज़ीम की बात कहना (और हुस्ने अदब के साथ उनसे ख़िताब करना और उनके लिंए आजिज़ी का बाज़ू बिछा नर्म दिली से) यानी ब–नर्मी व तवाज़ोअ़ पेश आ और उनके साथ थके वक़्त में शफ़क़त व मुहब्बत का बरताव कर कि उन्होंने तेरी मजबूरी के वक़्त तुझे मुहब्बत से परवरिश किया था और जो चीज़ उन्हें दरकार हो वह उन पर ख़र्च करने में दरेग़ न कर और अ़र्ज़ कर ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला, (मुद्दुआ़ ये है कि दुनिया में बेहतर सुलूक और ख़िदमात में कितना भी मुबालिग़ा किया जाए लेकिन वालिदैन के एहसान का हक़ अदा नहीं होता इसलिए बन्दे को चाहिए कि बारगाहे इलाही में उन पर फ़ज़्लो रहमत फ़रमाने की दुआ़ करे और अ़र्ज़ करे कि ऐ मेरे रब मेरी ख़िदमतें इनके एहसान की जज़ा नहीं हो सकतीं तू इन पर करम फ़रमा कि इनके एहसान का बदला हो,

फ़वाइद:

1— माँ—बाप को उनका नाम लेकर न पुकारे यह ख़िलाफ़े अदब है और इसमें उनकी दिल आज़ारी है लेकिन वह सामने न हों तो नाम लेकर उनका ज़िक्र जाइज़ है।

2— माँ—बाप से इस तरह कलाम करे जैसे ग़ुलाम व ख़ादिम आक़ा से करते हैं।

3— आयत (رَبِّ ارْحَمْهُمَا) से सबित हुआ कि मुसलमान के लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ जाइज़ और उसे फ़ाइदा पहुँचाने वाली है। मुर्दों के इसाले सवाब में भी उनके लिए दुआए रहमत होती है। लिहाज़ा इसके लिए यह आयत अस्ल है।

4— वालिदैन काफ़िर हों तो उनके लिए हिदायत व ईमान की दुआ करे कि यही उनके हक़ में रहमत है (कन्ज़ुल ईमान व तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान) एक दूसरी जगह बनी इसराईल से अपने अ़हद को याद दिलाते हुए ख़ुदाए तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया है। وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ

بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا (البقرہ پ۱ ع۱۰)

और जब हमने बनी इसराईल से अ़हद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो और माँ—बाप के साथ भलाई करो। *(तर्जुमा रज़विया)*

इस आयत और इसकी पहले वाली आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपनी इबादत का हुक्म फ़रमाने के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, इससे मालूम होता है कि वालिदैन कि ख़िदमत बहुत ज़रूरी है। वालिदैन के साथ भलाई के यह मानी हैं कि ऐसी कोई बात न कहे और ऐसा कोई काम न करे जिससे उन्हें ईज़ा हो और अपने बदन व माल से उनकी ख़िदमत में दरेग़ न करे। जब उन्हें ज़रूरत हो उनके पास हाज़िर रहे।

मसाइल 1— अगर वालिदैन अपनी ख़िदमत के लिए नवाफ़िल छोड़ने का हुक्म दें तो उनकी ख़िदमत नफ़्ल से मुक़द्दम है।

2— वाजिबात वालिदैन के हुक्म से तर्क नहीं किये जा सकते।

वालिदैन के साथ एहसान के बाज़ तरीक़े जो अहादीस से साबित हैं

1— तहे दिल से उनके साथ मुहब्बत रखे।

2— रफ़्तार व गुफ़्तार में नशिस्तो बरख़ास्त में अदब लाज़िम जाने।

3— उनकी शान में ताज़ीम के अल्फ़ाज़ कहे।

4— उनको राज़ी करने की कोशिश करता रहे।

5— अपने नफ़ीस माल को उनसे न बचाये।

6— उनके मरने के बाद उनकी वसीयतें जारी करे।

7— उनके लिए फ़ातिहा, सदक़ात, तिलावते क़ुरआन से इसाले सवाब करे।

8— अल्लाह तआ़ला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे।

9— हफ़्तावार उनकी क़ब्र की ज़ियारत करे।

(तफ़सीर फ़तहुल अज़ीज़, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान)

आयत—3 एक और जगह, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की इस तरह ताकीद और हुक्म फ़रमाता है।

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا (لقمٰن پ۲۱ ع۱۱) — और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे।

आयत—4 एक और जगह ख़ुसूसन वालिदा की तकालीफ़ को याद दिला कर एहसान का हुक्म फ़रमाया जा रहा है।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط (پ۲۶، ع۲)

और हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे, उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ़ से, और जना उसको तकलीफ़ से और उसे उठाए फिरना और उसका दूध छुड़ाना तीस महीने में है।

वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मामला सिर्फ़ जाइज़ हदों तक होना चाहिए ऐसा नहीं कि उनकी दिलदारी के लिए ग़लत और ग़ैर शरई इक़दाम भी रवा समझ लिया जाये, इस सिलसिले में क़ुरआन की वाज़ेह हिदायत मौजूद है इर्शादे बारी है।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ (پ۲۰، ع۱۳)

और हमने आदमी को ताकीद की अपने माँ–बाप के साथ भलाई की और अगर वह तुझसे कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराये जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न मान– (कन्ज़ुल ईमान)

इस आयत का शाने नुज़ूल ये है कि हज़रत सअ़द इब्ने अबी वक्क़ास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु जो साबिक़ीन अव्वलीन सहाबा में से थे और अपनी वालिदा के साथ अच्छा सुलूक करते थे। जब इस्लाम लाये तो आपकी वालिदा हमनह बिन्त अबू सुफ़ियान ने कहा तूने यह क्या नया काम किया? ख़ुदा की क़सम अगर तू इससे बाज़ न आया तो न मैं खाऊं न पियूँ यहां तक कि मर जाऊँ और तेरी हमेशा के लिए बदनामी हो, और तुझे माँ का क़ातिल कहा जाये फिर उस बुढ़िया ने फ़ाक़ा किया और एक शबाना रोज़ (रात व दिन भर) न खाया न पिया न साये में बैठी इससे ज़ईफ़ हो गई। फिर एक दिन रात और इसी तरह रही–तब हज़रत सअ़द उसके पास आए और फ़रमाया ऐ माँ! अगर तेरी सौ जानें हों और एक–एक करके सभी निकल जायें तो भी मैं अपना दीन (इस्लाम) छोड़ने वाला नहीं तू चाहे खा चाहे मत खा, जब वह हज़रत सअ़द की तरफ़ से मायूस हो गयी तो खाने पीने लगी उस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयते पाक नाज़िल फ़रमाई और हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाये, अगर वह कुफ़्र व शिर्क का हुक्म दें तो न माना जाये क्योंकि ऐसी इताअ़त किसी मख़लूक़ की जाइज़ नहीं जिसमें ख़ुदा की नाफ़रमानी हो।(ख़ज़ाइन)

अहादीस

वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक और उनके हुक़ूक़ की निगहदाश्त से मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं।

1– हदीस

عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهٗ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِیْلَ مَنْ یَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَیْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ یَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

(مسلم شریف ثانی ص۳۴۴، مشکوٰۃ شریف ص۴۱۸، اصح المطابع)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने एक बार फ़रमाया–ख़ाक आलूद हो उसकी नाक, फिर ख़ाक आलूद हो उसकी नाक, अर्ज़ किया गया किसकी या रसूलल्लाह? फ़रमाया उसकी जिसने बूढ़े माँ–बाप या उन दोनों में से एक को पाया फिर जन्नती न हुआ, यानी उनकी ख़िदमत न की न किसी और तरह उनकी ख़ुशनूदी हासिल की जिसके सबब वह जन्नत का मुस्तहिक़ होता। इस वईदे शदीद से माँ–बाप की नाफ़रमानी करने वाले सबक़ हासिल करें और अपना अन्जामे बद मालूम कर लें। (मिश्कात शरीफ़, अस्सहुलमुताबेअ़)

2–हदीस

وَعَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِیَّاكُمْ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَیْنِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ یُوْجَدُ رِیْحُهَا مِنْ مَّسِیْرَةِ اَلْفِ عَامٍ وَّلَا یَجِدُ عَاقٌّ وَّقَاطِعُ رَحِمٍ وَّلَا شَیْخٌ زَانٍ وَلَا جَارٌّ اِزَارَهٗ خُیَلَاءَ اِنَّ الْكِبْرِیَاءَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ -

(تفسیر مدارک ج ۲ ص۳۱۲، احیا الکتب مصر)

हुज़ूर मुहसिने इन्सानियत सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं वालिदैन की नाफ़रमानी से बचो इसलिए की जन्नत की ख़ुश्बू हज़ार बरस की राह तक आती है और वालिदैन का नाफ़रमान उसकी ख़ुश्बू न सूंघ सकेगा और इसी तरह रिश्ता तोड़ने वाला, बूढ़ा ज़ानी तकब्बुर से अपना इज़ार (तहबन्द,पाजामा वग़ैरह) टख़नों से नीचे लटकाने वाला भी जन्नत की ख़ुश्बू न पाएगा।उसके बाद हुज़ूर ने फ़रमाया बिला शुब्हा किब्रियाई तो सिर्फ़ रब्बुल आ़लमीन ही को लाइक़ है।

3–हदीस

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ اَنْ یَّشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ یَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ قَالَ نَعَمْ یَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَیَسُبُّ اَبَاهُ وَیَشْتِمُ اُمَّهٗ فَیَشْتِمُ اُمَّهٗ - (بخاری، مسلم، ترمذی ۲ ص۱۲)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया की

कबीरा गुनाहों से यह भी है कि कोई शख़्स अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है? हु.जूर ने फ़रमाया—हां जबकि वह किसी शख़्स के माँ—बाप को गाली दे और जवाब में वह उसके माँ—बाप को गाली दे। गोया उसने ख़ुद ही अपने माँ—बाप को गाली दी। (मिश्कात शरीफ़)

4—हदीस

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِیْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰی وَلَدِهٖ۔

(ترمذی ج ۲ ص ۱۳)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जिनके मक़बूल होने में कोई शक नहीं मज़लूम की दुआ़, और मुसाफ़िर की दुआ़, और बाप की अपने बेटे पर बद—दुआ़।

लिहाज़ा औलाद को चाहिए कि हमेशा ऐसी हरकत से परहेज़ करे जिसके सबब वालिदैन को उसके हक़ में बद—दुआ करनी पड़े और वालिदैन को भी हत्तल—इमकान उन पर बद—दुआ़ करने से बचना चाहिए वरना मक़बूल होने पर ख़ुद ही पछताना पड़ेगा जैसा की मुशाहिदा है।

5—हदीस

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ وَّلَدٍ بَارٍّ یَنْظُرُ وَالِدَیْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَّبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ یَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ! اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْیَبُ۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ ص ۴۲۱)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो भी इताअ़त शिआ़र फ़रज़न्द अपने वालिदैन को एक बार निगाहे मेहरो रहम से देखे अल्लाह तआ़ला उसके बदले एक मक़बूल हज लिखेगा। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ख़्वाह हर दिन सौ बार देखे। फ़रमाया हाँ अल्लाह

बहुत बड़ा और तय्यब है।

6—हदीस

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔ اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَیْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْیَمِیْنُ الْغَمُوْسُ۔ (رواہ البخاری)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हु.जूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि बड़े गुनाहों में से :—

1— अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना।

2— वालिदैन की नाफ़रमानी करना।

3— किसी जान को बिला वजहे शरअ़ी क़त्ल करना।

4— झूठी क़सम खाना है। *(मिशकात शरीफ़)*

7—हदीस

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِیًّا اَوْ قَتَلَهٗ نَبِیٌّ اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَیْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعِلْمِهٖ۔ (اخرجہ البیہقی کذا فی الدر المنثور)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हु.जूरे अनवर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि बिला शुब्हा क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा अ़ज़ाब वाला वह होगा जिसने किसी नबी को क़त्ल कर दिया या जिसको किसी नबी ने क़त्ल किया हो, या जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को क़त्ल किया हो और तस्वीर खींचने वालों को और उस आ़लिम को भी सबसे ज़्यादा अ़ज़ाब होगा जिसने अपने इल्म से नफ़ा न हासिल किया। (दुर्रे मन्शूर)

8—हदीस

عَنْ اَبِیْ رَزِیْنِ الْعُقَیْلِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنَّهٗ اَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِیْ شَیْخٌ كَبِیْرٌ لَا یَسْتَطِیْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ

اَبِیْكَ وَاعْتَمِرْ۔ (رواہ الترمذی وابوداؤد والنسائی وکذا فی المشکوٰۃ)

हज़रत अबू रज़ीन ओक़ैली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह रसूले अक़रम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह यक़ीनन मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं जो हज व उमरा और सफ़र की ताक़त व क़ुव्वत नहीं रखते इर्शाद फ़रमाया तुम अपने बाप की तरफ़ से हज व उमरा करो। *(मिश्कात)*

9—हदीस

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا اَنَّ رَجُلًا اَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ! اِنِّیْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِیْمًا فَھَلْ لِیْ مِنْ تَوْبَۃٍ قَالَ ھَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ لَا قَالَ وَھَلْ لَكَ مِنْ خَالَۃٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّھُمَا۔ (رواہ الترمذی)

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में एक शख़्स आया और उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझसे एक बड़ा गुनाह हो गया है क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तेरी मां है? अर्ज़ किया नहीं, फिर फ़रमाया क्या तेरी कोई ख़ाला है? अर्ज़ किया हाँ फ़रमाया तू उसके साथ हुस्ने सुलूक कर। *(मिशकात)*

इससे मालूम हुआ कि माँ या ख़ाला के साथ हुस्ने सुलूक करने की वजह से बहुत से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इसकी वजह से नेकियों की तौफ़ीक़ मिलती है।

10—हदीस

عَنْ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا بَرَّ اَبَاہُ مَنْ حَدَّ اِلَیْہِ الطَّرْفَ۔ (رواہ البیہقی فی الشعب)

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया उस शख़्स ने अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जिसने अपने वालिद को तेज़ नज़र से देखा यानी निगाह से नाराज़गी का इज़हार किया—

11—हदीस

عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ

وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ یَّمُدَّ اللّٰہُ فِیْ عُمْرِہٖ وَیَزِیْدَ فِیْ رِزْقِہٖ فَلْیَبَرَّ وَالِدَیْہِ وَلْیَصِلْ رَحِمَہٗ۔ (رواہ البیہقی کذا فی الدر)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो चाहे कि ख़ुदा तआ़ला उसकी उम्र में बरकत दे और उसका रिज़्क़ बढ़ा दे तो उसको चाहिए की अपने माँ—बाप के साथ अच्छा सुलूक करे और अपने रिश्तेदारों से तअ़ल्लुक़ क़ाइम रखे:—

12—हदीस

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عِفُّوْا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاءُ کُمْ وَبِرُّوْا اٰبَاءَ کُمْ تَبَرَّ کُمْ اَبْنَاءُ کُمْ وَمَنْ اَتَاہُ اَخُوْہُ مُتَنَصِّلًا فَلْیَقْبَلْ ذٰلِكَ مِنْہُ مُحِقًّا کَانَ اَوْ مُبْطِلًا فَاِنْ لَّمْ یَفْعَلْ لَمْ یَرِدْ عَلَیَّ الْحَوْضَ۔ اَخْرَجَہُ الْحَاکِمُ فِی الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَہٗ۔ (مستدرک حاکم ۴/۱۵۴)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले मुक़द्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम दूसरों की औरतों से परहेज़ करके पाक दामन हो जाओ ऐसा करने से तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी और अपने बापों के साथ हुस्ने सुलूक करो ऐसा करने से तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेंगे —और जिस शख़्स के पास उसका भाई माज़रत (माफ़ी) चाहता आये तो उसको माज़रत क़बूल कर लेनी चाहिए वह हक़ पर हो ख़्वाह नाहक़ पर अगर किसी ने ऐसा न किया (यानी माज़रत क़बूल न की) तो वह मेरे हौज़े कौसर पर न आये यानी उसको मेरे हौज़े कौसर से सैराब होने का हक़ नहीं।

(मुस्तदरिक हाकिम)

मुहम्मद अब्दुल मुबीन नोअ़मानी क़ादरी
ख़ादिम दारूल उलूम क़ादरिया, चिरैया कोट, मऊ
यकुम रमज़ानुल मुबारक हिजरी 1403

इफ़ादाते आला हज़रत

माँ बाप में किसका हक़ ज़्यादा है?

औलाद पर बाप का हक़ निहायत अ़ज़ीम है और माँ का हक़ उससे आज़म।

इर्शादे बारी तआ़ला है--

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا ۭ وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۔ (پ۲۶، ع۲)

और हमने ताकीद की आदमी को अपने माँ–बाप के साथ नेक बर्ताव की, उसे पेट में रखे रही उसकी माँ तकलीफ़ से और उसे जना तकलीफ़ से और उसका पेट में रहना और उसका दूध छुटना तीस महीनें में है।

इस आयते करीमा में रब्बुल इज़्ज़त ने माँ–बाप दोनों के हक़ में ताकीद फ़रमा कर माँ को फिर ख़ास अलग करके गिनाया और उसकी उन सख़्तियों और तकलीफ़ों को जो उसे हमल व विलादत और दो बरस तक अपने ख़ून का इत्र पिलाने में पेश आईं जिनके बाइस उसका हक़ बहुत अशद व आज़म हो गया शुमार फ़रमाया।

इसी तरह दूसरी आयत में इर्शाद करता है।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (پ۲۱، ع۱۱)

ताकीद की हमने आदमी को उसके माँ–बाप के हक़ में, पेट में रखा उसे उसकी माँ ने सख़्ती पर सख़्ती उठाकर और उसका दूध छुटना दो बरस में है यह कि हक़ मान मेरा और अपने माँ–बाप का।[1]

1. इस आयात की तफ़्सीर में हज़रत सुफ़ियान इब्न अ़ैनिया ने फ़रमाया कि जिसने पंजगाना नमाज़ें अदा कीं वह अल्लाह तआ़ला का शुक्र बजा लाया और जिसने पंजगाना नमाज़ों के बाद वालिदैन के लिए दुआयें कीं उसने वालिदैन की शुक्र–गुज़ारी की। (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान)

यहाँ माँ–बाप के हक़ की कोई इन्तिहा न रखी कि उन्हें अपने हक़्क़े जलील के साथ शुमार किया" फ़रमाता है शुक्र बजा ला मेरा और अपने माँ–बाप का" यह दोनों आयतें और बहुत सी हदीसें दलील हैं कि माँ का हक़ बाप के हक़ से ज़ाइद है।

1– उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं।

اَیُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَی الْمَرْاَۃِ قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ اَیُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَی الرَّجُلِ قَالَ اُمُّهٗ ۔ (رواه البزار بسند حسن الحاكم)

मैने हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की औरत पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? फ़रमाया शौहर का मैंने अर्ज़ की और मर्द पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? फ़रमाया उसकी माँ का।

2– हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं।

جَاءَ رَجُلٌ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِیْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ ۔ (رواه الشيخان)

एक शख़्स ने ख़िदमते अक़्दस हुज़ूर पुरनूर सलवातुल्लाहि तआ़ला व सलामुहू अलैहि में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा कौन इसका मुस्तहिक़ है कि मैं उसके साथ नेक रिफ़ाक़त करूँ? फ़रमाया तेरी माँ अर्ज़ की फिर? फ़रमाया तेरी मां, अर्ज़ की फिर? फ़रमाया तेरी माँ अर्ज़ की फिर? फ़रमाया तेरा बाप! *(बुख़ारी व मुस्लिम)*

3– तीसरी हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

اُوْصِی الرَّجُلَ بِاُمِّهٖ اُوْصِی الرَّجُلَ بِاُمِّهٖ اُوْصِی الرَّجُلَ بِاُمِّهٖ

मैं आदमी को वसीयत करता हूँ, उसकी माँ के हक़ में। वसीयत करता हूँ उसकी माँ के हक़ में, वसीयत करता हूँ उसकी

أُوْصِي الرَّجُلَ بِأَبِيهِ - (رواه الامام احمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي في السنن عن ابى سلامة) माँ के हक़ में वसीयत करता हूँ उसके बाप के हक़ में।

मगर इस ज़ियादत के यह मानी हैं कि ख़िदमत देने में बाप पर माँ को तरजीह दे मसलन सौ रूपये हैं और कोई ख़ास वजह मानेअ़ तफ़ज़ीले मादर नहीं तो बाप को पच्चीस रूपये दे माँ को पचहत्तर रूपये दे –या माँ–बाप दोनों ने एक साथ पानी मांगा तो पहले माँ को पिलाए फ़िर बाप को या दोनों सफ़र से आये हैं तो पहले माँ की ख़िदमत करे फिर बाप की व अला हाज़ल क़ियास न यह कि अगर वालिदैन में बाहम आपस में तनाज़ा (इख़्तिलाफ़) हो तो माँ का साथ देकर मआज़अल्लाह बाप के दर पै ईज़ा हो या उस पर किसी तरह दुरूश्ती (सख़्ती) करे या उसे जवाब दे या बे अदबाना आँख मिलाकर बात करे यह सब बातें हराम हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मअ़सीयत (नाफ़रमानी) में न माँ कि इताअ़त है न बाप की, तो उसे माँ या बाप में से किसी एक का ऐसा साथ देना हरगिज़ जाइज़ नहीं। वह दोनों उसकी जन्नत व नार हैं जिसे ईज़ा देगा दोज़ख़ का मुस्तहिक़ होगा वल अयाज़ु बिल्लाही तआ़ला।

मअ़सियते ख़ालिक़ में किसी की इताअ़त नहीं अगर मसलन माँ चाहती है कि यह बाप को किसी तरह का आज़ार (तक़लीफ़) पहुँचाये यह नहीं मानता तो वह नाराज़ होती है, होने दे और हरगिज़ न माने। ऐसी ही बाप की तरफ़ से मां के मामले में उनकी नाराज़ियां कुछ क़ाबिले लिहाज़ न होंगी कि यह उनकी निरी ज़्यादती है कि उससे अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी चाहते हैं बल्कि हमारे उलमाए किराम ने यूँ तक़सीम फ़रमाई है कि ख़िदमत में माँ को तरजीह है जिसकी मिसालें हम लिख आये हैं और ताज़ीम बाप की ज़ाइद है कि वह उसकी माँ का भी हाकिम व आक़ा है।

(कमा फ़िल हिन्दीया)

हुक़ूक़े वालिदैन बाद इन्तेक़ाल

1– सबसे पहला हक़ बाद मौत उनके जनाज़े की तजहीज़ व ग़ुस्ल व कफ़न व नमाज़ व दफ़न है, और इन कामों में सुनन व मुस्तहिब्बात की रिआ़यत जिससे उनके लिए हर ख़ूबी व बरकत व रहमत व उसअ़त की उम्मीद हो।

2– उनके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहना उससे कभी ग़फ़लत न करना।

3– सदक़ा व ख़ैरात व आमाले सालेहात का सवाब उन्हें पहुँचाते रहना हस्बे ताक़त इसमें कमी न करना, अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़ना अपने रोज़ों के साथ उनके वास्ते भी रोज़े रखना बल्कि जो नेक काम करे सबका सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को बख़्श देना कि उन सब को सवाब पहुँच जायेगा और उसके सवाब में कमी न होगी बल्कि बहुत तरक़्क़ियां पाएगा।

4– उन पर कोई क़र्ज़ किसी का हो तो उसके अदा करने में हद दर्जा की जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनके क़र्ज़ अदा होने को दोनों जहाँ की सआ़दत समझना। आप क़ुदरत न हो तो और अज़ीज़ों, क़रीबों, फिर बाक़ी अहले ख़ैर से उसकी अदा में इमदाद लेना।

5– उन पर कोई क़र्ज़ रह गया हो तो बक़दरे क़ुदरत उसकी अदा में सई (कोशिश) बजा लाना, हज न किया हो तो ख़ुद उनकी तरफ़ से हज करना या हज्जे बदल कराना ज़कात या उश्र का मुतालबा उन पर रहा हो तो उसे अदा करना नमाज़ या रोज़ा बाक़ी हों तो उसका कफ़्फ़ारा देना व अ़ला हाज़ल क़ियास हर तरह उनकी बराअते ज़िम्मा मे जिद्दो जहद करना।

6– उन्होंने जो वसीयते जाइज़ा, शरअ़इया की हो हत्तल इमकान उसके नफ़ाज़ में सई (कोशिश) करना अगरचे शरअ़न अपने ऊपर लाज़िम न हो, अगरचे अपने ऊपर बार हो मसलन वह निस्फ़ जाइदाद की वसीयत अपने किसी अज़ीज़ ग़ैर वारिस या अजनबीए महज़ के लिए कर गये तो शरअ़न तिहाई माल से ज़्यादा में बे इजाज़ते वारिसान नाफ़िज़ नहीं। मगर औलाद को मुनासिब है कि उनकी वसीयत मानें और उनकी ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक़द्दम जानें।

7– उनकी क़सम बाद मर्ग (मौत के बाद) भी सच्ची ही रखना मसलन माँ–बाप ने क़सम खाई कि मेरा बेटा फ़ुलां जगह न जाएगा या फ़ुलां से न मिलेगा या फ़ुलां काम करेगा, तो उनके बाद यह ख़्याल न करना कि अब वह नहीं तो उनकी क़सम का ख़्याल नहीं बल्कि उसका वैसा ही पाबन्द रहना जैसा कि उनकी ज़िन्दगी में रहता। जब तक कोई

हर्जे शरअ़ी मानेअ़ (रुकावट) न हो कुछ क़सम ही पर मौक़ूफ़ नहीं हर तरह उमूरे जाइज़ा में बाद मर्ग भी उनकी मर्ज़ी का पाबन्द रहना।

8– हर जुमा को उनकी ज़ियारते क़ब्र के लिए जाना वहाँ सूरह यासीन शरीफ़ ऐसी आवाज़ से कि वह सुनें पढ़ना और उसका सवाब उनकी रूह को पहुँचाना राह में जब कभी उनकी क़ब्र आए बे सलाम व फ़ातिहा न गुज़रना।

9– उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सुलूक किये जाना।

10– उनके दोस्तों से दोस्ती निभाना हमेशा उनका एज़ाज़ व इकराम रखना।

11– कभी किसी के माँ–बाप को बुरा कहकर उन्हें बुरा न कहलवाना।

12– सब में सख़्त तर व आमतर व मुदाम तर यह हक़ है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें क़ब्र में ईज़ा न पहुँचाना उसके सब आमाल की ख़बर माँ–बाप को पहुँचती है। नेकियां देखते हैं तो ख़ुश होते हैं और उनका चेहरा फ़रहत से चमकता व दमकता रहता है और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं और उनके क़ल्ब पर सदमा होता है। माँ–बाप का यह हक़ नहीं की उन्हें क़ब्र में भी रंज पहुँचाये।

अल्लाह ग़फ़ूरुर्रहीम अज़ीज़ुन करीम जल्ल जलालुहू सदक़ा अपने हबीब व रहीम अलैहि व अ़ला आलिही अफ़ज़ लुस्सलाति वत्तस्लीम का हम सब मुसलमानों को नेकियों कि तौफ़ीक़ दे, गुनाहों से बचाये, हमारे अकाबिर की क़ब्रों में हमेशा नूर व सूरूर पहुँचाये कि वह क़ादिर है और हम आजिज़, वह ग़नी है हम मुहताज।

अब उन बाज़ हदीसों का ज़िक्र किया जाता है जिन से यह अहकाम निकाले गये हैं।

हदीस 1– एक अन्सारी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने ख़िदमते अक़दस हुज़ूर पुरनूर सय्यदे आलम में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह माँ–बाप के इन्तेक़ाल के बाद कोई तरीक़ा उनके साथ नेकोई (भलाई) का बाक़ी है जिसे मैं बजा लाऊँ फ़रमाया–

نَعَمْ اَرْبَعَةُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا

हां चार बातें हैं, उन पर नमाज़ और उनके लिए दुआ़ए मग़फ़िरत और

وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا رَحِمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهٰذَا الَّذِىْ بَقِىَ بِرُّهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا -

उनकी वसीयत नाफ़िज़ करना और उनके दोस्तों की बुज़ुर्गदाश्त (ताज़ीम) और जो रिश्ता सिर्फ़ उन्हीं की जानिब से हो नेक बर्ताव से उसका क़ाइम रखना यह वह नेकोई है कि उनकी मौत के बाद भी उनके साथ करनी बाक़ी है।

हदीस 2– रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

اِسْتِغْفَارُ الْوَلَدِ لِاَبِيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْبِرِّ

माँ–बाप के साथ नेक सुलूक से यह बात है कि औलाद उनके बाद उनके लिए दुआ़ए मग़फ़िरत करे।

हदीस 3– फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम।

اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ

आदमी जब माँ–बाप के लिए दुआ़ करना छोड़ देता है उसका रिज़्क़ क़तअ़ हो जाता है।

हदीस 4– फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम

اِذَا تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنَ لَهُمَا اَجْرُهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا

जब तुम में कोई शख़्स कुछ नफ़्ल ख़ैरात करे तो चाहिए की उसे अपने माँ–बाप की तरफ़ से करे कि उसका सवाब उन्हें मिलेगा और उसके सवाब से कुछ न घटेगा।

हदीस 5– एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने माँ–बाप के साथ ज़िन्दगी में नेक सुलूक करता था अब वह मर गए उनके साथ नेक सुलूकी की क्या राह है? फ़रमाया।

बाद मर्ग नेक सुलूक से

اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ اَنْ تُصَلِّیَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ - (رواه الدارقطنی)

यह है कि तू अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिए रोज़े रखे।

यानी जब अपने सवाब मिलने के लिए कुछ नफ़्ल पढ़े या रोज़े रखे तो कुछ नफ़्ल उनकी तरफ़ से कि उन्हें सवाब पहुँचाए या नमाज़ रोज़ा जो नेक अमल करे साथ ही उन्हें सवाब पहुँचने की भी नीयत करले कि उन्हें भी सवाब मिलेगा और तेरा भी कम न होगा।

हदीस 6— मुहीत फिर तातारे ख़ानिया फिर रद्दुल मुख़्तार में है।

اَلْاَفْضَلُ لِمَنْ يَّتَصَدَّقُ نَفْلًا اَنْ يَّنْوِیَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ لِاَنَّهَا تَصِلُ اِلَيْهِمْ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَیْءٌ

जो कुछ नफ़्ल सदक़ा करना चाहे उसके लिए अफ़ज़ल है कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात की नीयत कर ले की उसका सवाब उन तक पहुँचेगा और उसके सवाब में कुछ कमी न होगी।

हदीस 7— फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम।

مَنْ حَجَّ عَنْ وَّالِدَيْهِ اَوْ قَضٰى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ الْاَبْرَارِ

जो अपने माँ—बाप की तरफ़ से हज करे या उनका क़र्ज़ अदा करे रोज़े क़ियामत नेकों के साथ उठेगा।

हदीस 8— अमीरूल मोमिनीन उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु पर अस्सी हज़ार क़र्ज़ थे, वक़्ते वफ़ात अपने साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा को बुलाकर फ़रमाया—

بَايِعْ فِيْهَا اَمْوَالَ عُمَرَ فَاِنْ وَفَتْ وَاِلَّا فَسَلْ بَنِیْ عَدِیٍّ فَاِنْ وَفَتْ فَسَلْ قُرَيْشًا وَلَا تَعْدُ عَنْهُمْ

मेरे दैन (क़र्ज़) में अव्वल तो मेरा माल बेचना अगर काफ़ी हो जाये फ़बिहा वरना मेरी क़ौम बनी अ़दी से मांग कर पूरा करना अगर यूँ भी पूरा न हो तो क़ुरैश से मांगना और उनके सिवा

औरों से सवाल न करना।

फिर साहब ज़ादे मौसूफ़ से फ़रमाया तुम मेरे क़र्ज़ की ज़मानत कर लो वह ज़ामिन हो गए और अमीरूल मोमिनीन के दफ़न से पहले अकाबिर मुहाजिरीन व अन्सार को गवाह कर लिया कि वह अस्सी हज़ार मुझ पर हैं। एक हफ़्ता न गुज़रा था कि अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह सारा क़र्ज़ अदा फ़रमा दिया।

हदीस 9— क़बीलए जुहैना से एक बीबी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने ख़िदमतें अक़दस हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ ने हज करने की मन्नत मानी थी वह अदा न कर सकीं और उनका इन्तेक़ाल हो गया क्या उनकी तरफ़ से हज कर लूं फ़रमाया :

نَعَمْ حُجِّیْ عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً اِقْضُوْا لِلّٰهِ اللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ-

हां उसकी तरफ़ से हज करो, भला तू देख तो तेरी माँ पर अगर दैन होता तो तू अदा करती या नहीं यूँ ही ख़ुदा का दैन अदा करो कि वह ज़्यादा हक़्क़े अदा रखता है।

हदीस 10— वह फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम

اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَّالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا اُبْتُشِرَ بِهٖ اَرْوَاحُهُمَا فِی السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ بَرًّا -

(رواه الدارقطنی)

इन्सान जब अपने वालिदैन की तरफ़ से हज करता है वह हज उसके और उनके सबकी तरफ़ से क़बूल किया जाता है और उनकी रूहें आसमान में उससे शाद होती हैं और यह शख़्स अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के नज़दीक माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने वाला लिखा जाता है।

हदीस 11— फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लमः

مَنْ حَجَّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ اُمِّهٖ

जो अपने माँ बाप की तरफ़ से हज करे उनकी तरफ़ से हज अदा हो

فَقَدْ قَضٰى عَنْهُ حَجَّتَهٗ وَكَانَ لَهٗ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ۔ (رواه الدارقطنی)

जाये और उसे दस हज का सवाब ज़्यादा मिले।

हदीस 12— फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम:

مَنْ بَرَّ قَسَمَهُمَا وَ قَضٰى دَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَبَّ لَهُمَا كُتِبَ بَارًّا وَّاِنْ كَانَ عَاقًّا فِىْ حَيَاتِهٖ وَمَنْ لَمْ يَبِرَّ قَسَمَهُمَا وَيَقْضِ دَيْنَهُمَا وَاسْتَبَّ لَهُمَا كُتِبَ عَاقًّا وَاِنْ كَانَ بَارًّا فِىْ حَيَاتِهٖ۔
(رواه الطبرانی فی الاوسط عن عبدالرحمٰن بن سمیرة رضی اللّٰہ تعالٰی عنه)

जो शख़्स अपने मां बाप के बाद उनकी क़सम सच्ची करे और उनका क़र्ज़ अदा करे और किसी के माँ बाप को बुरा कह कर उन्हें बुरा न कहलवाये वह वालिदैन के साथ नेकोकार लिखा जाता है अगरचे उनकी ज़िन्दगी में नाफ़रमान था और जो उनकी क़सम पूरी न करे और उनका क़र्ज़ अदा न करे, औरों के वालिदैन को बुरा कहकर उन्हें बुरा कहलवाये वह आक़ लिखा जाएगा अगरचे उनकी हयात में नेकोकार था।

हदीस 13— फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम:

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَكُتِبَ بَرًّا۔ (رواه الحکیم الترمذی فی النوادر وعن ابی ہریرة رضی اللّٰہ تعالٰی عنه)

जो अपने मां बाप दोनों में या एक की क़ब्र पर हर जुमा के दिन ज़ियारत को हाज़िर हो अल्लाह तआला उसके गुनाह बख़्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने वाला लिखा जाये।

हदीस 14— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَاَ عِنْدَهٗ يٰسٓ غُفِرَ لَهٗ۔ (ابن عدی عن الصدیق الاکبر رضی اللّٰہ)

जो शख़्स रोज़े जुमा अपने वालिदैन या एक की ज़ियारते क़ब्र करे और उसके पास यासीन पढ़े बख़्श दिया जाए।

हदीस 15— और एक दूसरी रिवायत यूं है।

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَاَ عِنْدَهٗ يٰسٓ غُفِرَ لَهٗ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا۔ (ابن عدی و ابوشیخ والدیلمی وابن النجار والرافعی عن ابیہا رضی اللّٰہ عنہما)

जो हर जुमा वालिदैन या एक की ज़ियारते क़ब्र करके वहाँ यासीन पढ़े यासीन शरीफ़ में जितने हर्फ़ हैं उन सबकी गिनती के बराबर अल्लाह तआला उसके लिए मग़फ़िरत फ़रमाये।

हदीस 16— फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम:

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا اِحْتِسَابًا كَانَ كَعَدْلِ حَجَّةٍ مَّبْرُوْرَةٍ وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لَّهُمَا زَارَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ قَبْرَهٗ۔ (الحکیم الترمذی وابن عدی عن ابن عمر رضی اللّٰہ تعالٰی عنه)

जो ब–नीयते सवाब अपने वालिदैन दोनों या एक की ज़ियारते क़ब्र करे तो यह एक हज्जे मबूरर के बराबर सवाब पाए और जो वालिदैन या एक की ज़ियारते क़ब्र बकसरत किया करता हो फ़रिश्ते उसकी क़ब्र की ज़ियारत को आयें।

हिकायत :— इमाम इब्नुल जौज़ी मुहद्दिस, किताब "उयूनुल हिकायात" में बसनदे ख़ुद मुहम्मद इब्नुल अब्बास वर्राक़ से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स अपने बेटे के साथ सफ़र को गया राह में बाप का इन्तेक़ाल हो गया वह जंगल, दरख़्ताने मक़ल यानी गुगल के पेड़ों का था उनके नीचे दफ़न करके बेटा जहां जाता था चला गया। जब पलटकर आया तो उस मंज़िल में रात को पहुँचा और बाप की क़ब्र पर न गया। नागाह सुना की कोई कहने वाला कहता है "मैंने तुझे देखा कि तू रात में इस जंगल से गुज़र रहा है और वह जो इन पेड़ों में है (यानी तेरा बाप) उससे कलाम करना अपने ऊपर लाज़िम नहीं जानता। हालांकि इन दरख़्तों में वह मुक़ीम है कि अगर उसकी जगह तू होता और वह यहां से गुज़रता तो राह से फ़िर कर आता और तेरी क़ब्र पर सलाम करता।

हदीस 17— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम—

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصِلَ اَبَاهُ فِىْ قَبْرِهٖ

जो चाहे कि बाप की क़ब्र में उसके

فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهٖ۔
(ابو یعلیٰ وابن حبان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما)

साथ हुस्ने सुलूक करे वह बाप के बाद उसके अ़ज़ीज़ों दोस्तों से नेक बर्ताव रखे।

ह़दीस 18— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम:

مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصِلَ صَدِيْقَ اَبِيْكَ
(طبرانی فی الاوسط عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

बाप के साथ नेकोकारी से है कि तू उसके दोस्त से अच्छा बर्ताव रखे।

ह़दीस 19— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआ़ला अलैहि वसल्लम:

اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُّوَلِّيَ الْاَبُ ۔
(احمد و البخاری فی الادب المفرد و مسلم فی صحیحہ و ابو داؤد والترمذی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

बेशक बाप के साथ नेकोकारियों से बढ़कर यह नेकोकारी है कि आदमी बाप के बाद उसके दोस्तों से अच्छी रविश पर निबाहे।

हदीस 20— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह स॰ लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम:

اَحْفِظْ وُدَّ اَبِيْكَ لَا تَقْطَعْهُ فَيُطْفِئَ اللّٰهُ نُوْرَكَ۔ (و البخاری فی الادب و الطبرانی فی الاوسط)

अपने माँ बाप की दोस्ती पर निगाह रख इसे क़तअ़ न करना कि अल्लाह नूर तेरा बुझा देगा।

हदीस 21— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम:

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَتعرض عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَّاِشْرَاقًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُؤْذُوْا مَوْتَاكُمْ۔ (الامام الحکیم عن والد عبد العزیز)

हर दोशम्बा व पंजशम्बा को अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के हुज़ूर आमाल पेश होते हैं और अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और मां बाप के सामने हर जुमा को वह नेकियों पर खुश होते है और उनके चेहरों की सफ़ाई व ताबिश बढ़ जाती है तो अल्लाह से डरो और अपने मुर्दों को गुनाहों से रंज न पहुँचाओ।

बिल जुम्ला वालिदैन का हक़ वह नहीं कि इन्सान उससे ओहदा बर आ हो। वह उसके ह़यात व वजूद के सबब हैं तो जो कुछ नेअ़मतें दीनी व दुनियावी पाएगा सब उन्हीं के तुफ़ैल में हर नेअ़मत व कमाल वजूद पर मौक़ूफ़ है और वजूद के सबब वह हुए तो सिर्फ़ मां बाप होना ही ऐसे अ़ज़ीम हक़ का मोजिब है जिससे कभी बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकता न कि उसके साथ उसकी परवरिश में उनकी कोशिश उसके आराम के लिए उनकी तकलीफ़ें खुसूसन पेट में रखने, पैदा होने दूध पिलाने में मां की अज़ीयतें उनका शुक्र कहाँ तक अदा हो सकता है।

खुलासा यह कि वह उसके लिए अल्लाह व रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के साए और उनकी रबूबियत व रहमत के मज़हर हैं। व लिहाज़ा क़ुरआने अज़ीम में अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने हक़ के साथ उनका हक़ ज़िक्र फ़रमाया कि—

اِنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ हक़ मान मेरा और अपने मां बाप का।

हदीस शरीफ़ में है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह एक राह में ऐसे गर्म पत्थरों पर कि अगर गोश्त उन पर डाला जाता कबाब हो जाता मैं छः मील तक अपनी मां को अपनी गर्दन पर सवार करके ले गया हूँ। क्या मैं उसके हक़ से अदा हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया لَعَلَّهٗ اَنْ يَّكُوْنَ بِطَلْقَةٍ وَّاحِدَةٍ तेरे पैदा होने में जिस क़दर दर्दों के झटके उसने उठाए हैं शायद उनमें से एक झटके का बदला हो सके।

माँ बाप की नाफ़रमानी का वबाल

माँ बाप की नाफ़रमानी अल्लाह जब्बार व क़ह्हार की नाफ़रमानी है और उनकी नाराज़ी अल्लाह क़ह्हार की नाराज़ी है। आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो वह उसकी जन्नत है और नाराज़ करे तो वह उसकी दोज़ख है। जब तक माँ बाप को राज़ी न करेगा कोई फ़र्ज़ कोई नफ़्ल कोई अमले नेक असलन क़बूल न होगा अज़ाबे आख़िरत के इलावा दुनिया में ही जीते जी सख़्त बला नाज़िल होगी मरते वक़्त मआज़ अल्लाह कल्मा नसीब न होने का ख़ौफ़ है—हदीस शरीफ़ में है—

ह़दीस 1— रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम

फ़रमाते हैं।

طَاعَةُ اللّٰهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ اللّٰهِ مَعْصِيَةُ الْوَالِدِ۔
(الطبرانی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالٰی عنہ)

अल्लाह की इताअत वालिद की इताअत है और अल्लाह की मआसियत (नाफ़रमानी) वालिद की मआसियत।

हदीस 2 — रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

رِضَا اللّٰهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللّٰهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ۔ (الترمذی وابن حبان والحاکم)

अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में।

हदीस 3— रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ۔ (ابن ماجہ عن ابی امامۃ)

माँ बाप तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख़ हैं।

हदीस 4— रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوِ احْفَظْ
(الترمذی وابن حبان عن ابی الدرداء رضی اللہ)

वालिद जन्नत के सब दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है। अब तू चाहे तो उस दरवाज़े को अपने हाथ से खो दे ख़्वाह निगाह रख।

हदीस 5—रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

ثَلٰثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ۔ (النسائی والبزار والحاکم)

तीन शख़्स जन्नत में न जाएंगे, माँ बाप की नाफ़रमानी करने वाला और दय्यूस और वह औरत जो मर्दानी वज़अ बनाये।

हदीस 6— रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

ثَلٰثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ

तीन अश्ख़ास का कोई फ़र्ज़ व नफ़्ल अल्लाह तआला क़बूल नहीं

صَرْفًا وَلَا عَدْلًا عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ۔
(ابن ابی عاصم فی السنۃ عن ابی امامہ)

फ़रमाता, आक़ और सदक़ा देकर एहसान जताने वाला और हर नेकी व बदी को तक़दीरे इलाही से न मानने वाला।

हदीस 7— फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम—

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهٖ فِي الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ۔ (الحاکم والاصبہانی والطبرانی)

सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह तआला चाहे तो क़ियामत के लिए उठा रखता है मगर माँ बाप की नाफ़रमानी कि उसके जीते जी सज़ा पहुँचाता है।

हदीस 8 — रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ
اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ
اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ۔

क्या मैं तुम्हें न बताऊँ सब कबीरा गुनाहों में सख़्त तर गुनाह क्या है? क्या न बता दूँ कि सब कबाइर से बदतर क्या है, क्या न बता दूँ कि सब कबाइर से शदीदतर क्या है?

सहाबा ने अर्ज़ की इर्शाद हो—फ़रमाया

اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ

अल्लाह का शरीक ठहराना और माँ बाप को सताना।

हदीस 9— रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं—

مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ۔ (الطبرانی والحاکم)

मलऊन है जो अपने वालिदैन को सताए। मलऊन है जो अपने वालिदैन को सताए। मलऊन है जो अपने वालिदैन को सताए।

हदीस 10— एक नौजवान नज़अ में था कलिमा तलक़ीन किया गया न कह सका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई तशरीफ़ ले गये फ़रमायाः कह *ला इलाह इल्लल्लाह* कहा, मुझसे कहा नहीं जाता, फ़रमाया क्यों? अर्ज़ किया गया वह शख़्स अपनी

माँ को सताता था। रहमते आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसकी माँ को (जो नाराज़ थी) बुलाकर फ़रमाया यह तेरा बेटा है? अ़र्ज़ की हां फ़रमाया भला सुन तो अगर एक अज़ीमुश्शान आग भड़काई जाए और कोई तुझसे कहे कि तू इसकी शफ़ाअ़त करे जब तो हम इसे छोड़ते हैं वरना जला देंगे क्या उस वक़्त तू इसकी शफ़ाअ़त करेगी? अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह जब तो शफ़ाअ़त करूँगी। फ़रमाया जब तू अल्लाह को और मुझे गवाह कर ले कि तू इससे राज़ी हो गयी उसने अ़र्ज़ की इलाही में तुझे और तेरे रसूल को गवाह करती हूँ कि मैं अपने बेटे से राज़ी हुई। अब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जवान से फ़रमाया ऐ लड़के कह–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

जवान ने कलिमा पढ़ा और इन्तेक़ाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया

(शुक्र उस ख़ुदा का जिसने मेरे वसीले से इसको दोज़ख़ से बचा लिया।)

हिकायत :– हज़रत अव्वाम बिन हौशब रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैहि जो कि अजल्लए अइम्मा तबअ़ ताबईन से हैं सन् 148 हिजरी में इन्तेक़ाल किया, फ़रमायाः मैं एक मुहल्ले नें गया उसके किनारे पर क़ब्रिस्तान था अ़स्र के वक़्त एक क़ब्र शक़ (फटी) हुई और उसमें से एक आदमी निकला जिसका सर गधे का और बाक़ी बदन इन्सान का उसने तीन आवाज़ गधे की तरह की, फिर क़ब्र बन्द हो गई। एक बुढ़िया बैठी सूत कात रही थी एक औरत ने मुझसे कहा इन बड़ी बी को देखते हो, मैंने कहा इसका क्या मामला है, कहा यह उस क़ब्र वाले की माँ है वह शराब पीता था जब शाम को आता माँ नसीहत करती कि ऐ बेटे ख़ुदा से डर कब तक इस नापाक को पियेगा। यह जवाब देता कि तू तो गधे की तरह चिल्लाती है। यह शख़्स अ़स्र के बाद मरा जब से हर रोज़ बाद अ़स्र उसकी क़ब्र शक़ होती है और यूं ही तीन आवाज़ें गधे की होकर के बन्द हो जाती है।

वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक जिहाद और हिजरत से अफ़ज़ल है

वालिदैन के साथ नेकोकारी को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह पर फ़ज़ीलत दी है।

1– हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है वह फ़रमाते हैं। मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम–

اَیُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَی اللّٰهِ تَعَالٰی قَالَ الصَّلٰوۃُ عَلٰی وَقْتِہَا قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ الْجِہَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ۔ (رواہ احمد والشیخان و ابوداؤد)

कौन सा अ़मल ज़्यादा महबूब है ख़ुदा के नज़दीक, फ़रमायाः वक़्त पर नमाज़ अदा करना मैंने कहा फिर कौन, फ़रमायाः वालिदैन के साथ नेकी, कहा, फिर कौन, फ़रमायाः अल्लाह की राह में जिहाद।

वालिदैन के साथ नेकी सिर्फ़ यही नहीं की उनके हुक्म की पाबन्दी की जाए और उनकी मुख़ालिफ़त न की जाए बल्कि उनके साथ नेकी यह भी है कि कोई ऐसा काम न करे जो उनको नापसन्द हो। अगरचे उसके लिए खास तौर पर उनका कोई हुक्म न हो इसलिए की उनकी फ़रमांबरदारी और उनको ख़ुश रखना दोनों वाजिब है और नाफ़रमानी और नाराज़ करना हराम है।

2– हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं। एक शख़्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया।

ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغى الاجر من الله تعالىٰ قال فهل من والديك احد حى قال نعم كلاهما حى قال فتبتغى

मैं आप से हिजरत और जिहाद पर बैअ़त कर रहा हूँ और ख़ुदा से अज्र का तालिब हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फ़रमाया क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िन्दा है, उसने अ़र्ज़ किया दोनों ज़िन्दा हैं। फिर दरियाफ़्त फ़रमाया क्या ख़ुदा

الاجر من الله تعالیٰ قال نعم قال فارجع الی والدیک فاحسن صحبتهما۔
(اخرجه مسلم)

से अज्र चाहते हो, उसने अर्ज़ किया, हां, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने वालिदैन के पास लौट जा और उनके साथ ठीक से रह।

3– और आप ही से एक दूसरी रिवायत है कि एक शख़्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया–

جِئْتُ اُبَایِعُكَ عَلَی الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَیَّ یَبْكِیَانِ قَالَ فَارْجِعْ اِلَیْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَیْتَهُمَا۔
(اخرجه ابوداؤد عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما)

मैं आप से हिजरत पर बैअ़त करने आया हूँ और अपने वालिदैन को रोता छोड़कर आया हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तू अपने वालिदैन के पास जा और उनको हँसा जैसा कि तूने उनको रूलाया है।

4– हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है।

اِنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْیَمَنِ هَاجَرَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ احد بالیمن قال ابوای قال اذن لك قال لا قال فارجع الیهما فاستاذنهما فان اذنا فجاهد والا فبرهما۔
(رواه ابوداؤد عن ابی سعید الخدری رضی الله تعالیٰ عنه)

यमन का रहने वाला एक शख़्स हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। हुज़ूर ने दरियाफ़्त फ़रमाया क्या तुम्हारा यमन में कोई है, उसने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या उन्होंने तुम्हें इजाज़त दी है, कहा नहीं, फ़रमायाः तू उनके पास लौट जा और इजाज़त तलब कर अगर वह इजाज़त दें तो फिर जिहाद कर वरना उनके साथ हुस्ने सुलूक में मशग़ूल रह।

5– हज़रत मुआविया बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से

मरवी है।

ان جاهمه رضی الله تعالی عنه جاء الی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فقال یارسول الله اردت اغزوو قد جئتك استشیرك فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنه عند رجلیها۔

कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने जिहाद का इरादा कर लिया है और आप के पास मशवरा के लिए आया हूं तो हुज़ूर ने फ़रमायाः क्या तुम्हारी माँ है, अर्ज़ किया हां, फ़रमायाः तू उसकी ख़िदमत कर बेशक जन्नत उसके क़दमों के पास है।

6– और तिबरानी की रिवायत इस तरह है।

ولفظ الطبرانی قال اتیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم استشیره فی الجهاد فقال النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الك والدان قلت نعم قال الزمهما فان الجنة تحت ارجلهما۔

कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया कि जिहाद के बारे में मशवरा लूँ तो हुज़ूर ने दरियाफ़्त फ़रमायाः क्या तुम्हारे वालिदैन मौजूद हैं, मैंने कहा हां, फ़रमायाः तो उन्हीं की ख़िदमत में रह इसलिए की जन्नत उन्हीं के क़दमों के नीचे है।

7– हज़रत तलहा बिन मुआविया सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है फ़रमाते हैं–

اتیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فقلت یارسول الله! انی ارید الجهاد فی سبیل الله قال امك حیه قلت نعم قال النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الزم رجلیها فثم الجنة۔ (رواه الطبرانی)

मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इरादा रखता हूँ। हुज़ूर ने दरियाफ्त फ़रमायाः तेरी माँ ज़िन्दा है, मैंने अर्ज़ किया हाँ, फ़रमायाः उसके क़दमों को लाज़िम पकड़ो वहीं जन्नत है।

और देखिए ख़ैरूत्ताबईन (बशहादह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम –मुस्लिम वली अल्लाह सय्यदना अवेस क़रनी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु हैं कि आप की वालिदा की ख़िदमत और उनके साथ हुस्ने सुलूक ने ही हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ज़ियारते अ़ैनी से रोक दिया।

हुक़ूक़े उस्ताद

चूँकि उस्ताद बाप ही का दर्जा रखता है बल्कि बाज़ वजूह से उसका दर्जा बाप से ज़्यादा है इसलिए आख़िर में हुक़ूक़े उस्ताद का भी मुख़्तसर बयान किया जाता है। फ़तावा आलमगीरी में नीज़ इमाम हाफ़िज़ुद्दीन करूरी से है।

قالَ زند ويستى حق العالم على الجاهل وحق الاستاد على التلميذ واحد على السواء وهوان لا يفتح بالكلام قبله ولا يجلس مكانه وان غاب و لا يرد على كلامه ولا يتقدم عليه فى مشيه

यानी फ़रमाया इमाम ज़न्दवीस्ती ने आ़लिम का हक़ जाहिल पर और उस्ताद का हक़ शागिर्द पर यकसाँ है और वह यह कि उससे पहले बात न करे और उसके बैठने की जगह उसकी ग़ैबत (अ़दमे मौजूदगी) में भी न बैठे उसकी बात को रद्द न करे और चलने में उससे आगे न बढ़े।

इसी में ग़राइब से है।

ينبغى للرجل ان يراعى حقوق استاذه وادابه ولا يضن بشئ من ماله۔

आदमी को चाहिए की अपने उस्ताद के हुक़ूक़ व आदाब का लिहाज़ रखे अपने माल में किसी चीज़ से उसके साथ बुख़्ल न करे।

यानी जो कुछ उसे दरकार हो बख़ुशी ख़ातिर हाज़िर करे और उसके क़बूल कर लेने में उसका एहसान और अपनी सआ़दत जाने।

इसमें तातार ख़ानिया से है।

يُقَدِّمُ حَقَّ مُعَلِّمِهٖ عَلٰى حَقِّ اَبَوَيْهِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ يَتَوَاضَعْ لِمَنْ عَلَّمَهٗ خَيْرًا وَّ لَوْ حَرْفًا وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّخْذُلَهٗ وَ لَا يَسْتَاْثِرُ عَلَيْهِ اَحَدًا فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ فَصَمَ عُرْوَةً مِّنْ عُرَى الْاِسْلَامِ وَمِنْ اَجْلَالِهٖ اَنْ لَّا يَقْرَعَ بَابَهٗ بَلْ يَنْتَظِرَ خُرُوْجَهٗ۔

यानी उस्ताद के हक़ को अपने माँ–बाप और तमाम मुसलमानों के हक़ से मुक़द्दम रखे और जिसने उसे अच्छा इल्म सिखाया अगरचे एक ही हर्फ़ पढ़ाया हो उसके लिए तवाज़ो करे और लाइक़ नहीं कि किसी वक़्त उसकी मदद से बाज़ रहे। अपने उस्ताद पर किसी को तरजीह न दे अगर ऐसा करेगा तो उसने इस्लाम की रस्सीयों से एक रस्सी खोल दी उस्ताद की ताज़ीम से है कि वह घर के अन्दर हो और यह हाज़िर हो तो उसका दरवाज़ा न खटखटाए बल्कि उसके बाहर आने का इन्तेज़ार करें।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

बेशक जो तुम्हें हुजरों के बहार से पुकारते हैं उनमें अक्सर बेअक़ल हैं और अगर वह सब्र करते यहाँ तक कि तुम उनके पास तशरीफ़ लाते तो यह उनके लिए बेहतर था और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।

आलिमे दीन हर मुसलमान के हक़ में उमूमन और उस्तादे इल्मे दीन अपने शागिर्द के हक में ख़ुसूसन नाइबे हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम है। हाँ अगर किसी ख़िलाफ़े शरअ़ बात का हुक्म दे, हरगिज़ न करे।

لَا طَاعَةَ لِاَحَدٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

ख़ुदा की नाफ़रमानी में किसी की इताअ़त नहीं। (हदीस)

मगर इस न मानने पर भी गुस्ताख़ी व बे–अदबी से पेश न आये।

فَاِنَّ الْمُنْكَرَ لَا يَزَالُ بِمُنْكَرٍ

क्योंकि बुराई, बुराई से दूर नहीं की जाती।

उसका वह हुक्म कि ख़िलाफ़े शरअ़ हो मुस्तसना किया जाएगा। बकमाले आजिज़ी व ज़ारी माज़रत करे और बचे।

और अगर उसका हुक्म मुबाहात में है तो हत्तल इमकान उसकी

बजा–आवरी में अपनी सआदत जाने और नाफ़रमानी का हुक्म मालूम हो चुका कि उसने इस्लाम की गिरहों से एक गिरह खोल दी।

उलमा फ़रमाते हैं जिससे उसके उस्ताद को किसी तरह की ईज़ा पहुँचे वह इल्म की बरकत से महरूम रहेगा और अगर उसके अहकाम वाजिबाते शरअय्या हैं जब तो ज़ाहिर है उनका लुज़ूम और ज़्यादा हो गया। उनमें उसकी नाफ़रमानी सरीह राहे जहन्नम है।

उस्ताद की नाशुक्री बड़ी भयानक बला और मर्ज़े क़ातिल है जिससे इल्म की बरकत ज़ाइल हो जाती है।

हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया वह ख़ुदा का भी शुक्र गुज़ार नहीं।

हक़ अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ -

अगर एहसान मानोगे तो में तुम्हें और दूँगा और अगर ना शुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख़्त है।

और फ़रमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने।

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता हर बड़े दग़ाबाज़ सख़्त नाशुक्रे को

और फ़रमाया अज़्ज़ व शानुहू तआ़ला ने।

هَلْ نُجٰزِىٓ إِلَّا الْكَفُورَ - (پ ٢٢ ع ٨)

हम किसे सज़ा देते हैं। उसको जो ना शुक्रा है।

सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया–

مَنْ أُوْلِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ -

(الادب المفرد للبخاری، سنن ابو داود، ترمذی)

जिस पर किसी ने एहसान किया उसने सिवा तारीफ़ के उसका और कोई एवज़ न पाया तो बेशक उसने अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा कर दिया और जिसने उसको छुपा लिया और कोई तारीफ़ भी न की तो ज़रूर उसने ना शुक्री की।

उस्ताद की ना शुक्री व नाक़दरी बाप के साथ नाफ़रमानी का हुक्म रखती है। इसलिए की उस्ताद बमंज़िले बाप होता है।

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं –

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ

मैं तुम्हारा बाप ही हूं कि तुमको इल्म सिखाता हूं।

बल्कि उलमा ने फ़रमाया है कि उस्ताद का हक़ वालिदैन के पर मुक़द्दम रखे कि उन से जिस्मानी ज़िन्दगी वाबस्ता है और सबबे हयाते रूहानी है और ख़ुद नाफ़रमानीए वालिदैन का निहायत सख़्त है। इसलिए कि हुज़ूर ने इसको शिर्क के साथ फ़रमाया है इर्शाद है।

الا انبئكم باكبر الكبائر ثلثا قلنا بلى يارسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين

(بخاری، مسلم، ترمذی)

हुज़ूर ने तीन मर्तबा फ़रमाया क्या मैं तुमको सबसे बड़ा गुनाह न बता दूँ सहाबा ने अर्ज़ की, हां, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, फ़रमायाः ख़ुदा के साथ किसी को शरीक करना और वालिदैन की नाफ़रमानी।

और ख़ुद इस बाब में इस क़दर हदीसें हैं कि दफ़्तर दरकार है। उस्ताद की नाशुक्री व तहक़ीर, ग़ुलाम के अपने आक़ा के पास से भाग जाने के बराबर है जिसका वबाल हदीस में निहायत सख़्त बताया गया है कि (भागा हुआ ग़ुलाम जब तक अपने आक़ा के पास न आए ख़ुदा उसका फ़र्ज़ कबूल करता है न नफ़्ल)

हज़रत मौलाए आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى فَهُوَ مَوْلَاهُ -

जिसने किसी बन्दे को किताबुल्लाह की कोई एक आयत सिखा दी तो वह उसका आक़ा हो गया।

अमीरूल मोमिनीन हज़रत मौला अ़ली रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं।

مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرَنِىْ لَهٗ عَبْدًا اِنْ شَاءَ بَاعَ وَاِنْ شَاءَ اَعْتَقَ -

जिसने कि मुझे एक हर्फ़ पढ़ा दिया तो बतहक़ीक़ उसने मुझको अपना बन्दा बनाया अगर चाहे बेचे और अगर चाहे आज़ाद करे।

हज़रत इमाम शम्सुद्दीन सख़ावी (मक़ासिदे हस्ना) में मुहद्दिस

और देखिए ख़ैरूत्ताबईन (बशहादह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम –मुस्लिम वली अल्लाह सय्यदना अवेस क़रनी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु हैं कि आप की वालिदा की ख़िदमत और उनके साथ हुस्ने सुलूक ने ही हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ज़ियारते अ़ैनी से रोक दिया।

हुक़ूके उस्ताद

चूँकि उस्ताद बाप ही का दर्जा रखता है बल्कि बाज़ वजूह से उसका दर्जा बाप से ज़्यादा है इसलिए आख़िर में हुक़ूक़े उस्ताद का भी मुख़्तसर बयान किया जाता है। फ़तावा आलमगीरी में नीज़ इमाम हाफ़िज़ुद्दीन करूरी से है।

قالَ زند ويستی حق العالم على الجاهل وحق الاستاد على التلميذ واحد على السواء وهوان لا يفتح بالكلام قبله ولا يجلس مكانه وان غاب و لا يرد على كلامه ولا يتقدم عليه فی مشيه

यानी फ़रमाया इमाम ज़न्दवीस्ती ने आ़लिम का हक़ जाहिल पर और उस्ताद का हक़ शागिर्द पर यकसाँ है और वह यह कि उससे पहले बात न करे और उसके बैठने की जगह उसकी ग़ैबत (अ़दमे मौजूदगी) में भी न बैठे उसकी बात को रद्द न करे और चलने में उससे आगे न बढ़े।

इसी में ग़राइब से है।

ينبغى للرجل ان يراعى حقوق استاذه واٰدابه ولا يضن بشئ من ماله.

आदमी को चाहिए की अपने उस्ताद के हुक़ूक़ व आदाब का लिहाज़ रखे अपने माल में किसी चीज़ से उसके साथ बुख़्ल न करे।

यानी जो कुछ उसे दरकार हो बख़ुशी ख़ातिर हाज़िर करे और उसके क़बूल कर लेने में उसका एहसान और अपनी सआ़दत जाने।

इसमें तातार ख़ानिया से है।

يُقَدِّمُ حَقَّ مُعَلِّمِهٖ عَلٰى حَقِّ اَبَوَيْهِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ يَتَوَاضَع لِمَنْ عَلَّمَهٗ خَيْرًا وَّ لَوْحَرْفًا وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّخْذُلَهٗ وَ لَا يَسْتَاثِرَ عَلَيْهِ اَحَدًا فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ فَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الْاِسْلَامِ وَمِنْ اَجْلَالِهٖ اَنْ لَّا يَقْرَعَ بَابَهٗ بَلْ يَنْتَظِرَ خُرُوْجَهٗ.

यानी उस्ताद के हक़ को अपने माँ–बाप और तमाम मुसलमानों के हक़ से मुक़द्दम रखे और जिसने उसे अच्छा इल्म सिखाया अगरचे

एक ही हर्फ़ पढ़ाया हो उसके लिए तवाज़ो करे और लाइक़ नहीं कि किसी वक़्त उसकी मदद से बाज़ रहे। अपने उस्ताद पर किसी को तरजीह न दे अगर ऐसा करेगा तो उसने इस्लाम की रस्सीयों से एक रस्सी खोल दी उस्ताद की ताज़ीम से है कि वह घर के अन्दर हो और यह हाज़िर हो तो उसका दरवाज़ा न खटखटाए बल्कि उसके बाहर आने का इन्तेज़ार करें।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

बेशक जो तुम्हें हुजरों के बहार से पुकारते हैं उनमें अक्सर बेअक़ल हैं और अगर वह सब्र करते यहाँ तक कि तुम उनके पास तशरीफ़ लाते तो यह उनके लिए बेहतर था और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।

आलिमे दीन हर मुसलमान के हक़ में उमूमन और उस्तादे इल्मे दीन अपने शागिर्द के हक में ख़ुसूसन नाइबे हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम है। हाँ अगर किसी ख़िलाफ़े शरअ़ बात का हुक्म दे, हरगिज़ न करे।

لَا طَاعَةَ لِاَحَدٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

ख़ुदा की नाफ़रमानी में किसी की इताअ़त नहीं। (हदीस)

मगर इस न मानने पर भी गुस्ताख़ी व बे–अदबी से पेश न आये।

فَاِنَّ الْمُنْكَرَ لَا يَزَالُ بِمُنْكَرٍ

क्योंकि बुराई, बुराई से दूर नहीं की जाती।

उसका वह हुक्म कि ख़िलाफ़े शरअ़ हो मुस्तसना किया जाऐगा। बकमाले आजिज़ी व ज़ारी माज़रत करे और बचे।

और अगर उसका हुक्म मुबाहात में है तो हत्तल इमकान उसकी

बजा–आवरी में अपनी सआदत जाने और नाफ़रमानी का हुक्म मालूम हो चुका कि उसने इस्लाम की गिरहों से एक गिरह खोल दी।

उलमा फ़रमाते हैं जिससे उसके उस्ताद को किसी तरह की ईज़ा पहुँचे वह इल्म की बरकत से महरूम रहेगा और अगर उसके अहकाम वाजिबाते शरअ़य्या हैं जब तो ज़ाहिर है उनका लुज़ूम और ज़्यादा हो गया। उनमें उसकी नाफ़रमानी सरीह राहे जहन्नम है।

उस्ताद की नाशुक्री बड़ी भयानक बला और मर्ज़े क़ातिल है जिससे इल्म की बरकत ज़ाइल हो जाती है।

हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ

जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया वह ख़ुदा का भी शुक्र गुज़ार नहीं।

हक़ अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِيْدٌ -

अगर एहसान मानोगे तो में तुम्हें और दूँगा और अगर ना शुक्री करो तो मेरा अ़ज़ाब सख़्त है।

और फ़रमाया अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता हर बड़े दग़ाबाज़ सख़्त नाशुक्रे को

और फ़रमाया अ़ज़्ज़ व शानुहू तआ़ला ने।

هَلْ نُجٰزِیْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ (پ ۲۲ ع ۸)

हम किसे सज़ा देते हैं। उसको जो ना शुक्रा है।

सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया—

مَنْ اُوْلِیَ مَعْرُوْفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهٗ جَزَاءً اِلَّا الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهٗ وَمَنْ كَتَمَهٗ فَقَدْ كَفَرَ -

(الادب المفرد للبخاری، سنن ابو داؤد، ترمذی)

जिस पर किसी ने एहसान किया उसने सिवा तारीफ़ के उसका और कोई एवज़ न पाया तो बेशक उसने अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा कर दिया और जिसने उसको छुपा लिया और कोई तारीफ़ भी न की तो ज़रूर उसने ना शुक्री की।

उस्ताद की ना शुक्री व नाक़दरी बाप के साथ नाफ़रमानी का हुक्म रखती है। इसलिए की उस्ताद बमंज़िले बाप होता है।

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं —

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ

मैं तुम्हारा बाप ही हूं कि तुमको इल्म सिखाता हूं।

बल्कि उलमा ने फ़रमाया है कि उस्ताद का हक़ वालिदैन के हक़ पर मुक़द्दम रखे कि उन से जिस्मानी ज़िन्दगी वाबस्ता है और उस्ताद सबबे हयाते रूहानी है और ख़ुद नाफ़रमानीए वालिदैन का वबाल निहायत सख़्त है। इसलिए कि हुज़ूर ने इसको शिर्क के साथ बयान फ़रमाया है इर्शाद है।

الا انبئکم باکبر الکبائر ثلثا قلنا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین

(بخاری، مسلم، ترمذی)

हुज़ूर ने तीन मर्तबा फ़रमाया क्या मैं तुमको सबसे बड़ा गुनाह न बता दूँ सहाबा ने अर्ज़ की, हां, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, फ़रमायाः ख़ुदा के साथ किसी को शरीक करना और वालिदैन की नाफ़रमानी।

और ख़ुद इस बाब में इस क़दर हदीसें हैं कि दफ़्तर दरकार है। नीज़ उस्ताद की नाशुक्री व तहक़ीर, ग़ुलाम के अपने आक़ा के पास से भाग जाने के बराबर है जिसका वबाल हदीस में निहायत सख़्त बताया गया है कि (भागा हुआ ग़ुलाम जब तक अपने आक़ा के पास न आए ख़ुदा उसका फ़र्ज़ क़बूल करता है न नफ़्ल)

हज़रत मौलाए आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَهُوَ مَوْلَاهُ -

जिसने किसी बन्दे को किताबुल्लाह की कोई एक आयत सिखा दी तो वह उसका आक़ा हो गया।

अमीरूल मोमिनीन हज़रत मौला अ़ली रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं।

مَنْ عَلَّمَنِیْ حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرَنِیْ لَهٗ عَبْدًا اِنْ شَاءَ بَاعَ وَاِنْ شَاءَ اَعْتَقَ -

जिसने कि मुझे एक हर्फ़ पढ़ा दिया तो बतहक़ीक़ उसने मुझको अपना बन्दा बनाया अगर चाहे बेचे और अगर चाहे आज़ाद करे।

हज़रत इमाम शमसुद्दीन सख़ावी (मक़ासिदे हस्ना) में मुहद्दिस

शोअ़बा बिन हुजाज रहमतुल्लाह अ़लैहि से रिवायत करते हैं कि उन्हों
फ़रमाया—

مَن كَتَبْتُ عَنْهُ أَرْبَعَةَ أَحَادِيْثَ أَوْخَمْسَةً فَأَنَا عَبْدُهُ حَتَّى أَمُوْتَ

जिससे कि मैंने चार पाँच हदी
लिख लीं तो मैं उसका बन्दा हो ग
यहां तक कि मैं मरूं।

और बलफ़्ज़े दिगर फ़रमाया—

مَا كَتَبْتُ عَنْ أَحَدٍ حَدِيْثًا إِلَّا وَكُنْتُ لَهُ عَبْدًا مَا أَحْيٰى

जिस किसी से एक हदीस भी लिख
तो मैं उसका बन्दा हो गया आखर
दम तक।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी है हुज़ू
अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया—

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ ـ

इल्म हासिल करो और इल्म क
लिए सुकून व वक़ार सीखो औ
जिससे तुम इल्म हासिल कर रहे हो
उसके सामने तवाज़ो और आजिज़ी
अख़्तियार करो।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मसला:— अज़ सोरूँ ज़िला एटा मुहल्ला मलिक ज़ादगान
मुरसला मिर्ज़ा हामिद हुसैन साहब 7 जमादियुल अव्वल सन् 1310 हि

क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इन मसाइल में बाप पर बेटे का हक़
किस क़दर है अगर है और वह न अदा करे तो उसके वास्ते हुक्मे शरअ़ी
क्या है मुफ़स्सल तौर पर अरक़ाम फ़रमाइए।

जवाब:— अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अगरचे वालिद का हक़ वल्द
पर निहायत आज़म बनाया यहाँ तक कि अपने हक़ के बराबर उसका
ज़िक्र फ़रमाया कि أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ (हक़ मान मेरा और अपने
माँ—बाप का) मगर वल्द का हक़ भी वालिद पर अ़ज़ीम रखा है कि वल्दे
मुतलक़ इस्लाम फिर ख़ुसूस जवाज़ फिर ख़ुसूस क़राबत फिर ख़ुसूस
अ़याल इन सब हुक़ूक़ का जामेअ़ होकर सबसे ज़्यादा ख़ुसूसियते ख़ास्सा
रखता है और जिस क़दर ख़ुसूस बढ़ता जाता है हक़ शदो अकद होता
जाता है उलमाए किराम ने अपनी कुतुबे जलीला मिसले "अहयाउल

उलूम" व मुदख़ल" व "कीमियाए सआ़दत" व "ज़ख़ीरतुल मुलूक" वग़ैरहा
में हुक़ूक़े वल्द से निहायत मुख़्तसर तौर पर कुछ तअ़र्रूज़ फ़रमाया। मगर
फ़क़ीर सिर्फ़ अहादीसे मरफ़ूआ हुज़ूर पुरनूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु
तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से तवज्जोह करता हूँ। फ़ज़्ले इलाही
जल्ल व अ़ला से उम्मीद कि फ़क़ीर की यह चन्द हरफ़ी तहरीर ऐसी
नाफ़ेअ़ व जामेअ़ वाक़ेअ़ हो कि उसकी नज़ीर कुतुबे मुतव्वला में न मिले
इस बारे में जिस क़दर हदीसें बिहमदिल्लाह तआ़ला इस वक़्त मेरे
हाफ़िज़ा व नज़र में हैं उन्हें बित्तफ़सील मअ़ तख़रीजात लिखे तो एक
रिसाला होता है और ग़रज़ सिर्फ़ इफ़ादे अहकाम लिहाज़ा सरे दस्त फ़क़त
वह हुक़ूक़ कि यह हदीसें इर्शाद फ़रमा रही हैं कमाले तलख़ीस व
इख़्तिसार के साथ शुमार करूँ व बिल्लाहित्तौफ़ीक़—

1— सबसे पहला हक़ वजूदे औलाद से भी पहले यह है कि आदमी अपना निकाह रज़ील क़ौम से न करे कि बुरी रग ज़रूर रंग लाती है।

2— दीनदार लोगों में शादी करे कि बच्चे पर नाना मामूं की आ़दात व अफ़आ़ल का भी असर पड़ता है।

3— ज़ंगियों हब्शियों में क़राबत न करे कि माँ का सियाह रंग बच्चे को बदनुमा न कर दे।

4— जिमाअ़ की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे वरना बच्चे में शैतान शरीक हो जाता है।

5— उस वक़्त शर्मगाहे ज़न पर निगाह न करे कि बच्चे के अन्धे होने का अन्देशा है।

6— ज़्यादा बातें न करे कि गूंगे या तुतले होने का ख़तरा है।

7— मर्द व ज़न कपड़ा ओढ़ लें जानवरों की तरह बरहना न हों कि बच्चे के बेहया होने का ख़दशा है।

8— जब पैदा हो फ़ौरन सीधे कान में अज़ान बायें में तकबीर कहे कि ख़लले शैतान व उम्मुस्सिबयान से बचे।

9— छोहारा वग़ैरह कोई मीठी चीज़ चबा कर उसके मुँह में डाले कि हलावत अख़लाक़ की फ़ाले हसन हो।

10— सातवें और न हो सके तो चौदहवें वरना इक्कीसवें दिन अक़ीक़ा

करे दुख़्तर के लिए एक पिसर के लिए दो कि उसमें बच्चे का गोया रेहन से छुड़ाना है।

11– एक रान दाई को दे कि बच्चा की तरफ़ से शुक्राना है।

12– सर के बाल उतरवाये।

13– बालों के बराबर चाँदी तौलकर ख़ैरात करे।

14– सर पर ज़ाफ़रान लगाये।

15– नाम रखे यहाँ तक कि कच्चे बच्चे का भी जो कम दिनों का गिर जाये वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के यहां शाकी होगा।

16– बुरा नाम न रखे कि बद फ़ाले बद है।

17– अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहीम, अहमद, हामिद वग़ैरहा, इबादत व हम्द के या अम्बिया औलिया या अपने बुज़ुर्गों में जो नेक लोग गुज़रे हों उनके नाम पर नाम रखे कि मुजिबे बरकत है। खुसूसन नामे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इस मुबारक नाम की बे पायाँ बरकत बच्चे की दुनिया व आख़िरत में काम आती है।

18– जब मुहम्मद नाम रखे तो उसकी ताज़ीम व तकरीम करे।

19– मजलिस में उसके लिए जगह छोड़े।

20– मारने बुरा कहने में एहतियात रखे।

21– जो मांगे बर वजहे मुनासिब दे।

22– प्यार में छोटे लक़ब पर बेक़दर नाम न रखे कि पड़ा हुआ नाम मुश्किल से छूटता है।

23– माँ ख़्वाह नेक दाइया नमाज़ी सालिहा शरीफ़ुल क़ौम से दो साल तक दूध पिलवाये।

24– रज़ील या बद अफ़आल औरत के दूध से बचाये कि दूध तबीअत को बदल देता है।

25– बच्चे का नफ़्क़ा उसकी हाजत के सब सामान मुहय्या करना खुद वाजिब है जिनमें हज़ानत (बच्चे की परवरिश) भी दाख़िल है।

26– अपने हवाइज दादा के वाजिबाते शरीअत से जो बचे उसमें अज़ीज़ों, क़रीबों, मुहताजों, ग़रीबों सबसे ज़्यादा हक अयाल अतफ़ाल का है जो इनसे बचे वह औरों को पहुंचे।

27– बच्चे को पाक कमाई से पाक रोज़ी दे कि नापाक माल नापाक ही आदत लाता है।

28– औलाद के साथ तन्हाई ख़ोरी न बरते बल्कि अपनी ख़्वाहिश को उनकी ख़्वाहिश का ताबेअ रखे। जिस अच्छी चीज़ को उनका जी चाहे उन्हें दे कि उनके तुफ़ैल में आप भी खाये ज़्यादा न हो तो उन्हीं को खिलाये।

29– खुदा की इन नेअमतों के साथ मेहर व लुत्फ़ का बर्ताव रखे उन्हें मुहब्बत व प्यार करे बदन से लिपटाये–कन्धे पर चढ़ाये उनके हँसने खेलने बहलने की बातें करे।

30– उनकी दिल जुई, दिल दारी, रिआयत, मुहाफ़िज़त हर वक़्त हत्ता कि नमाज़ व खुतबे में भी मलहूज़ रखे।

31– नया मेवा नया फल पहले उन्हीं को दे कि वह भी ताज़े फल हैं। नये को नया मुनासिब है।

32– कभी–कभी हस्बे मक़दूर उन्हें शीरनी वग़ैरह खाने पहनने खेलने की अच्छी चीज़ कि शरअन जाइज़ हो देता रहे।

33– बहलाने के लिए झूटा वादा न करे बल्कि बच्चे से भी वादा वही जाइज़ है जिसके पूरा करने का क़स्द रखता हो।

34– अपने चन्द बच्चे हों तो जो चीज़ दे सब को बराबर और यकसाँ दे। एक को दूसरे पर बे फ़ज़ीलते दीनी तरजीह न दे।

35– सफ़र से आये तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा ज़रूर लाये।

36– बीमार हों तो इलाज करे।

37– हत्तल इमकान सख़्त व मूज़ी इलाज से बचाये।

38– ज़बान खुलते ही अल्लाहु अल्लाहु फिर लाइलाह इल्लल्लाह फिर पूरा कलिमए तय्यबा सिखाये।

39– जब तमीज़ आये अदब सिखाये खाने 'पीने 'हँसने 'बोलने 'उठने' चलने' फिरने' हया' लिहाज़' बुज़ुर्गों की ताज़ीम माँ बाप' उस्ताद और दुख़्तर को शौहर की भी इताअत के तुरक व आदाब बताये।

40– क़ुरआन मजीद पढ़ाये।

41– उस्ताद नेक सालेह मुत्तक़ी सहीहुल अक़ीदा सिन रसीदा के सुपुर्द करे और दुख़्तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाये।

42– बाद ख़त्मे क़ुरआन हमेशा तिलावत की ताकीद रखे।

43– अक़ाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाये कि लौहे सादा फ़ितरते इस्लामी व क़बूले हक़ पर मख़लूक़ है उस वक़्त का बताया पत्थर

की लकीर होगा।

44– हुज़ूरे अक़्दस रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की मुहब्बत व ताज़ीम उनके दिल में डाले कि अस्ले ईमान व अ़ैने ईमान है।

45– हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के आल व असहाब व औलिया व उलमा की मुहब्बत व अ़ज़मत तालीम करे कि अस्ले सुन्नत व ज़ेवरे ईमान बल्कि बाइसे बक़ाए ईमान है।

46– सात बरस की उमर से नमाज़ की ज़बानी ताकीद शुरू कर दे।

47– इल्मे दीन ख़ुसूसन वज़ू, ग़ुस्ल, नमाज़, रोज़ा के मसाइल तवक्कुल क़नाअ़त, ज़ुहद, इख़्लास, तवाज़ो, अमानत, सिदक़, अदल, हया, सलामते सदर व लिसान वग़ैरह ख़ूबियों के फ़ज़ाइल हिर्स व तमअ़ हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, रिया, उजब व तकब्बुर, ख़ियानत, किज़्ब, ज़ुल्म, फ़ुहश, ग़ीबत, हसद, कीना, वग़ैरह बुराईयों के रज़ाइल पढ़ाये।

48– पढ़ाने सिखाने में रिफ़्क़ व नरमी मलहूज़ रखे।

49– मौक़े पर चश्म नुमाई, तम्बीह, तहदीद करे मगर कोसना न दे कि उसका कोसना उनके लिए सबबे इस्लाह न होगा बल्कि और ज़्यादा फ़साद का अन्देशा है।

50– मारे तो मुहं पर न मारे।

51– अक्सर औक़ात तहदीद व तख़वीफ़ (डराने) पर क़ानेअ़ रहे कोड़ा क़ुमची उसके पेशे नज़र रखे कि दिल में रोअ़ब रहे।

52– ज़मानए तालीम में एक वक़्त खेलने का भी दे कि तबीअ़त पर निशात बाक़ी रहे।

53– मगर ज़िनहार ज़िनहार बुरी सुहबत में न बैठने दे कि यारे बद मारे बद (बुरे साँप) से बदतर है।

54– न हरगिज़ हरगिज़ "बहारे दानिश, मीना बाज़ार" मसनवी ग़नीमत वग़ैरहा कुतुबे इश्क़िया व ग़ज़लियाते फ़िस्क़िया न देखने दे कि नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है। सही हदीस शरीफ़ से साबित है कि लड़कियों को सूरह यूसुफ़ शरीफ़ का तर्जुमा न पढ़ाया जाये कि उसमें मकरे ज़नान (औरतों का मक्र) का ज़िक्र फ़रमाया है फिर बच्चों को ख़ुराफ़ाते शायराना में डालना कब बजा

हो सकता है।

55– जब दस बरस का हो नमाज़ मार मार कर पढ़ाए।

56– इस उम्र से अपने ख़्वाह किसी के साथ न सुलाये जुदा बिछौने जुदा पलंग पर अपने पास रखे।

57– जब जवान हो शादी कर दे। शादी में वही रिआ़यत क़ौम व दीन व सीरत व सूरत मलहूज़ रखे।

58– अब जो ऐसा काम कहना हो जिसमें नाफ़रमानियों का एहतिमाल हो उसे अम्र व हुक्म के सेग़े से न कहे बल्कि बरिफ़्क़ व नर्मी बतौरे मशवरा कहे कि वह बलाए उक़ूक़ में न पड़े।

59– उसे मीरास से महरुम न करे जैसे बाज़ लोग अपने किसी वारिस को न पहुंचने की ग़रज़ से कुल जाइदाद दूसरे वारिस या किसी ग़ैर के नाम लिख देते हैं।

60– अपने बादे मर्ग (मौत) भी उनकी फ़िक्र रखे यानी कम से कम दो तिहाई तर्का छोड़ जाये कि तिहाई से ज़्यादा ख़राब न करे।

यह साठ तो पिसर व दुख़्तर सबके हैं। बल्कि दो हक़ आख़िर में सब वारिस शरीक और ख़ास पिसर के हुक़ूक़ से।

61– लिखना।

62– पैरना (तैराकी)।

63– सिपहगरी सिखाये।

64– सूरह माइदा की तालीम दे।

65– ऐलान के साथ उसका ख़त्ना करे।

ख़ास दुख़्तर के हुक़ूक़ से है कि.......

66– उसके पैदा होने पर नाख़ुशी न करे बल्कि नेअ़मते इलाहिया जाने।

67– सीना' पिरोना' कातना' खाना पकाना सिखाये।

68– सूरह नूर की तालीम दे।

69– लिखना हरगिज़ न सिखाये कि इहतिमाले फ़ितना है।

70– बेटों से ज़्यादा उनकी दिल जुई और ख़ातिरदारी रखे कि उनका दिल बहुत थोड़ा होता है।

71– देने में उन्हें और बेटों को काँटे की तौल बराबर रखे।

72– जो चीज़ दे पहले उन्हें देकर बेटों को दे।

73– नौ बरस की उम्र से अपने पास सुलाए न भाई वग़ैरह के पास

सोने दे।

74– इस उम्र से ख़ास निगहदाश्त (देख रेख) शुरु करे।

75– शादी बरात में जहाँ गाना नाच हो हरगिज़ न जाने दे अगरचे ख़ास अपने भाई के यहाँ हो कि गाना सख्त संगीन जादू है और इन नाज़ुक शीशों को थोड़ी ठेस बहुत है। बल्कि बेगानों में जाने की मुतलक़न बन्दिश करे घर को उन पर ज़िन्दाँ (क़ैदख़ाना) कर दे।

76– बाला ख़ानों में न रहने दे।

77– घर में लिबास व ज़ेवर से आरास्ता करे कि प्याम रग़बत के साथ आयें।

78– जब कुफ़ू मिले निकाह में देर न करे।

79– हत्तल इमकान बारह बरस की उम्र में ब्याह दे।

80– ज़िनहार ज़िनहार (हरगिज़) किसी फ़ासिक़ फ़ाजिर खुसूसन बद मज़हब के निकाह में न दे।

यह अस्सी हक़ हैं कि इस वक़्त की नज़र में अहादीसे मरफ़ूआ से ख़्याल में आए। इन में से अक्सर तो मुस्तहिब्बात हैं जिनके तर्क पर असलन मुवाख़िज़ा नहीं और बाज़ पर आख़िरत में मुतालबा हो मगर दुनिया में बेटे के लिए बाप पर गिरिफ़्त व जब्र नहीं न बेटे को जाइज़ कि बाप से जिदाल व निज़ाअ करले सिवा चन्द हुक़ूक़ के कि उनमें जब्र व चारा जुई व एतराज़ को दख़ल।

अव्वल :– नफ़का कि बाप पर वाजिब हो और वह न दे तो हाकिम जबरन मुक़र्रर करेगा न माने तो क़ैद किया जायेगा हालाँकि फ़ुरूअ़ की और किसी दीन में उसूले वालिदैन महबूस नहीं होते। فی درالمختار عن الذخیرۃ لایحبس والد وان علا فی دین ولدہ وان سفل الا فی النفقۃ لان فی اتلاف الصغیر

दोम :– रज़ाअ़त कि माँ के दूध न हो तो दाई रखना बे तनख़्वाह न मिले तो तनख़्वाह देना वाजिब 'न दे तो जबरन ली जायेगी। जबकि बच्चे का अपना माल न हो। यूँ ही माँ बाद तलाक़ व मुरूरे इद्दत (इद्दत गुज़रने) बे तनख़्वाह दूध न पिलाये तो उसे भी तनख़्वाह दी जायेगी।

सोम :– हज़ानत कि लड़का सात बरस का लड़की नौ बरस की उम्र तक जिन औरतों मसलन माँ' नानी व दादी' बहन' ख़ाला' फूफी के पास रखे जायेंगे अगर इन में से कोई बे तनख़्वाह न माने और बच्चा फ़क़ीर,

बाप ग़नी है तो जबरन तनख़्वाह दिलाई जायेगी।

चहारुम :– बाद इन्तिहाए हज़ानत बच्चे को अपने हिफ़्ज़ व सियानत (हिफ़ाज़त) में लेना बाप पर वाजिब है अगर न लेगा तो हाकिम जब्र करेगा।

पंजुम :– इनके लिए तर्का बाक़ी रखना कि बाद तअल्लुक़ हक़े वरसा यानी बहालते मर्ज़ुल मौत मूरिस उस पर मजबूर होता है। यहाँ तक कि सुलस (तिहाई) से ज़ाइद में उसकी वसीयत बे इजाज़ते वरसा नाफ़िज़ नहीं।

शशुम :– अपने नाबालिग़ बच्चे पिसर ख़्वाह (लड़का) दुख़्तर (लड़की) को ग़ैर कुफ़ू से या महरे मिस्ल में ग़बन फ़ाहिश के साथ ब्याह देना मसलन दुख़्तर का महरे मिस्ल हज़ार है पाँच सौ पर निकाह कर देना या बहू का महरे मिस्ल पाँच सौ है हज़ार बाँध लेना या पिसर का निकाह किसी बाँदी से या दुख़्तर का किसी ऐसे शख़्स से जो मज़हब या नस्ब या पेशा या अफ़आल या माल में वह नुक़्स रखता हो जिसके बाइस उससे निकाह मुजिबे आ़र हो। एक बार तो ऐसा निकाह बाप का किया हुआ नाफ़िज़ होता है जबकि नशा में न हो मगर दोबारा अपनी किसी नाबालिग़ का ऐसा निकाह करेगा तो असलन सही न होगा।

हफ़्तुम :– ख़त्ना में भी एक सूरत जब्र की है कि अगर किसी शहर के लोग छोड़ दें। सुल्ताने इस्लाम उन्हें मजबूर करेगा न मानेंगे तो उन पर जिहाद करेगा।

हुक़ूके मुस्लिम

एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का क्या–क्या हक़ है, ज़ैल में अहादीसे करीमा के ज़रिया उसका मुख़्तसर तज़किरा किया जाता है।

अहादीस

हदीस (1) सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا किसी नेकी को मामूली न जानो

وَلَوْاَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

अगरचे इसी क़दर कि तू अपने भाई से ख़न्दा पेशानी से पेश आए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि मुसलमान भाई से खुश रूई के साथ पेश आना भी बड़ी नेकी है इसको और इस तरह की दूसरी नेकियों को मामूली नहीं तसव्वुर करना चाहिए और यह कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है कि जब उससे मिले तो ख़न्दा रूई से पेश आए।

हदीस (2) रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों को ख़िताब करके फ़रमाया–

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ بِفِرْسِنِ شَاةٍ — اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ۔

ऐ मुसलमान औरतो! हरगिज़ कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन को हक़ीर न समझे अगर (उसका हदिया) बकरी का खुर ही हो।

इस हदीस को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

यानी कोई औरत अपने पड़ोस की किसी औरत को ज़लील न तसव्वुर करे। अगरचे वह तोहफ़ा में बकरी के खुर जैसी ही कोई मामूली चीज़ भेजे बल्कि उसके हर हदिये की क़दर करे न कि शिकायत।

एक दूसरी हदीस में وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ का लफ़्ज़ आया है यानी अगरचे जला हुआ खुर ही हो। इस हदीस में औरतों की तख़्सीस इसलिए है कि नेअमतों और हदियों की नाक़दरी व नाशुक्री का माद्दा उनके अन्दर मर्दों से ज़्यादा होता है।

मुसलमानों को बे वजहे शरई ईज़ा पहुंचाना भी हरामे क़तई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बे किये सताते हैं उन्होंने बोहतान

بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا۔ और खुला गुनाह अपने सर लिया।

हदीस (3) हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَ مَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ — اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ۔

जिसने किसी मुसलमान को आज़ार पहुँचाया उसने मुझको अज़ीयत दी और जिसने मुझको अज़ीयत दी, उसने हक़ तआला को ईज़ा पहुंचाई इस हदीस को इमाम तिबरानी ने औसत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सनदे हसन के साथ रिवायत किया

हदीस (4) इमाम राफ़ई ने सय्यदना अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहू से रिवायत किया कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا اَوْ ضَرَّهٗ اَوْ مَاكَرَهٗ۔

हमारी जमाअत से वह नहीं जो किसी मुसलमान से दग़ा करे या उसको नुक़सान पहुचाँए या उसके साथ मक्र से पेश आए।

इस सिलसिले में अहादीस बकसरत हैं। यहाँ सबका ज़िक्र करना मक़सूद नहीं।

हदीस (5) हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهٗ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يَّنْصُرَهٗ اَذَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ — اَخْرَجَهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ

जिसके सामने किसी मुसलमान को बे इज़्ज़त किया जाये और वह क़ुदरत के बावजूद उसकी मदद न करे हक़ तआला उसको क़ियामत के दिन बरमला ज़लील व रुसवा करेगा। इसको इमाम अहमद ने सुहैल बिन हनीफ़ से

اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ بِاَسْنَادٍ حَسَنٍ۔ असनादे हसन के साथ रिवायत किया।

इससे अन्दाज़ा लगाना चाहिए कि जब किसी मुसलमान की तज़लील पर ख़ामोशी की वजह से इस क़दर दर्दनाक अ़ज़ाब होगा तो खुद मुसलमान की तज़लील किस क़दर अज़ाब व ग़ज़बे रब्बुल अरबाब का बाइस है। العیاذ باللہ تعالٰے

हदीस (6) चूँकि रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर कमाल दर्जे की रहमत व इनायत फ़रमाते हैं इसलिए इसको जाइज़ नहीं फ़रमाते कि किसी मुसलमान के पैग़ामे निकाह पर दूसरा कोई मुसलमान पैग़ाम दे और न यह कि किसी के भाव पर दूसरा कोई भाव लगाए।

इमाम अहमद और इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत किया।

اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰی خِطْبَۃِ اَخِیْہِ وَلَا یَسُوْمُ عَلٰی سَوْمِہٖ وَفِی الْبَابِ عَنْ عُقْبَۃَ بْنِ عَامِرٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ۔

कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई आदमी अपने भाई की मंगनी हो चुकने पर पैग़ाम न दे और न भाव तय हो जाने पर दूसरा कोई उस पर भाव करे इस बाब में उक़बा बिन आमिर और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम से भी रिवायत है।

यहां जब कि अभी नेअ़मत हासिल न हुई और न ही क़ब्ज़ा हुआ इस क़दर शदीद मुमानिअ़त है तो जो किसी के ममलूका व मक़बूज़ा माल पर दस्त दराज़ी करे तो यह किस दर्जा ज़ुल्म व सितम होगा और अज़ाब का बाइस।

हदीस (7) हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ یَرْحَمْ صَغِیْرَنَا وَلَمْ یَعْرِفْ شَرَفَ کَبِیْرِنَا۔

हम में से नहीं जो हमारे छोटे पर मेहरबानी न करे और हमारे बड़े की बुर्ज़ुगी न पहचाने। इस हदीस

اَخْرَجَہٗ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِیُّ وَ الْحَاکِمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ بَلْ صَحِیْحٍ۔

को इमाम अहमद व तिर्मिज़ी और हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से सनदे हसन बल्कि सनदे सही के साथ रिवायत किया।

हदीस (8) फ़रमाया सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने।

لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ یَرْحَمْ صَغِیْرَنَا وَلَمْ یُوَقِّرْ کَبِیْرَنَا۔

हमारे तरीक़े पर वह नहीं जो छोटों पर रहम और बड़ों की तौक़ीर नहीं करता।

इस हदीस को इमाम अहमद व तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत किया। जिसकी सनद हसन है और इसी के मिस्ल तिबरानी ने मुअ़जमे कबीर में वासिला बिन असक़अ़ रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत किया।

हदीस (9) फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने।

لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ یَرْحَمْ صَغِیْرَنَا وَلَمْ یَعْرِفْ حَقَّ کَبِیْرِنَا وَلَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا وَلَا یَکُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّٰی یُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِیْنَ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِہٖ۔ اَخْرَجَہُ الطَّبْرَانِیُّ فِی الْکَبِیْرِ عَنْ ضَمِیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ بِاَسْنَادٍ حَسَنٍ۔

हम में से नहीं जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों का हक़ नहीं पहचानता और वह हम में से नहीं जो मुसलमानों को धोका देता है और उस वक़्त तक मुसलमान, मुसलमान नहीं होता जब तक कि दूसरे ईमान वालों के लिए वही पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है इसको तिबरानी ने कबीर में ज़मीरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से बअसनादे हसन रिवायत किया।

हदीस (10) फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने।

مِنْ اِجْلَالِ اللّٰہِ تَعَالٰی اِکْرَامُ ذِی الشَّیْبَۃِ الْمُسْلِمِ۔ (الحدیث)

सफ़ेद बाल वाले (बूढ़े) मुसलमान की इज़्ज़त करना ख़ुदा की ताज़ीम से है। इसको अबूदाऊद ने अबू

اَخْرَجَہٗ اَبُوْدَاوٗدَ عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

हदीस (11) जो मुसलमान इल्मे दीन रखता हो उसके साथ बुराई करना कितना बुरा है। कहने की ज़रूरत नहीं हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

لَیْسَ مِنْ اُمَّتِیْ مَنْ لَّمْ یُجِلَّ کَبِیْرَنَا وَیَرْحَمْ صَغِیْرَنَا وَیَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّہٗ۔ اَخْرَجَہٗ اَحْمَدُ فِی الْمُسْنَدِ وَالْحَاکِمُ فِی الْمُسْتَدْرِکِ وَالطَّبْرَانِیْ فِی الْکَبِیْرِ عَنْ عُبَادَۃَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ۔

वह मेरी उम्मत से नहीं जो हमारे बुज़ुर्ग की ताज़ीम न करे और छोटों पर शफ़कत न करे और हमारे आलिम के हक़ को न पहचाने इसको इमाम अहमद ने मुसनद और हकिम ने मुसतदरिक में और तिबरानी ने कबीर में हजरत ओबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बसनदे हसन रिवायत किया।

हदीस (12) फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।

ثَلٰثَۃٌ لَا یَسْتَخِفُّ بِحَقِّہِمْ اِلَّا مُنَافِقٌ، ذُوْ شَیْبَۃٍ فِی الْاِسْلَامِ وَذُوالْعِلْمِ وَاِمَامٌ مُّقْسِطٌ۔ اَخْرَجَہُ الطَّبْرَانِیُّ عَنْ اَبِیْ اُمَامَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ بِطَرِیْقٍ حَسَّنَہُ التِّرْمِذِیُّ بِغَیْرِ ھٰذَا الْمَتْنِ۔

तीन आदमी ऐसे हैं कि उनके हक़ को वही हल्का जानेगा जो मुनाफ़िक़ हो। पहला वह शख़्स कि इस्लाम में जिसका बाल सफ़ेद हुआ यानी बूढ़ा मुसलमान, दूसरा आलिम तीसरा, बादशाहे आदिल। इसको तिबरानी ने अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया ऐसे तरीक़े से जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है दूसरे मतन के साथ।

Rs. 12=00